रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 83] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 22, 2009/ज्येष्ठ 1, 1931
No. 83] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 22, 2009/JYAISTHA 1, 1931

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2009

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009

(2009 का सं. 2)

सं. आर-40007/6/विनियम-साधारण/अधिसूचना/04-सीसीआई.—भारत का प्रतिस्पर्धा अयोग, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 64 द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 है ।

(2) ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं.—

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "अधिनियम" से प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) अभिप्रेत है;

(ख) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) "आयोग" से अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग अभिप्रेत है;

(घ) "परामर्शी" से अधिनियम की धारा 35 के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित कोई विधि व्यवसायी या चार्टर्ड अकाउन्टेंट या कंपनी सचिव या लागत लेखाकार अभिप्रेत है;

(ङ) "महानिदेशक" से अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त आयोग का महानिदेशक अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अधिनियम की उस धारा के अधीन नियुक्त कोई अपर, संयुक्त, उप या सहायक महानिदेशक सम्मिलित है.

(च) "विशेषज्ञ" से अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3) के अधीन आयोग की सहायता करने के लिए नियोजित कोई विशेषज्ञ या अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (3) के अधीन किसी जांच या कार्यवाही में आयोग की सहायता के लिए बुलाया गया कोई विशेषज्ञ अभिप्रेत है;

(छ) "मीडिया" में सामचार पत्र, मैगजीन, पत्रिकाएं, जर्नल, रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन और इंटरनेट सम्मिलित हैं;

(ज) "सामान्य बैठक" का वही अर्थ होगा जो उसका भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (कारबार संव्यवहार हेतु बैठक) विनियम, 2009 में है;

(झ) "पक्षकार" में कोई उपभोक्ता या कोई उद्यम या क्रमशः अधिनियम की धारा 2 के खंड (च), (ज) और (झ) में परिभाषित व्यक्ति या कोई सूचना प्रदाता या कोई उपभोक्ता संगम या कोई व्यापार संगम या अधिनियम की धारा 2 के खंड (छ) में परिभाषित महानिदेशक या यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार या कोई कानूनी प्राधिकारी सम्मिलित है और इसमें ऐसा कोई उद्यम भी सम्मिलित होगा, जिसके विरूद्ध कोई जांच या कार्यवाही संस्थित की गई है और इसमें कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए अनुमति प्राप्त व्यक्ति या कोई मध्यक्षेपक भी सम्मिलित होगा;

(ञ) "प्रतिनिर्देश" से कोई निम्नलिखित प्रतिनिर्देश अभिप्रेत है-

(i) अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी कानूनी प्राधिकारी से आयोग को प्राप्त कोई प्रतिनिर्देश, या

(ii) अधिनियम की धारा 21 के अधीन किसी कानूनी प्राधिकारी से प्राप्त या राय के लिए आयोग को प्राप्त कोई प्रतिनिर्देश, या

(iii) अधिनियम की धारा 21क के अधीन आयोग द्वारा किसी कानूनी प्राधिकारी को राय के लिए भेजा गया कोई प्रतिनिर्देश, या

(iv) अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से राय के लिए आयोग को प्राप्त कोई प्रतिनिर्देश ;

(ट) "सचिव" से अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सचिव अभिप्रेत है और इसमें सचिव के रूप में कार्य करने के लिए अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत आयोग का कोई अधिकारी सम्मिलित है ;

(ठ) "अधिकरण" से अधिनियम की धारा 53क की उपधारा (1) के अधीन स्थापित प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण अभिप्रेत है ;

(ड) आयोग के नई दिल्ली स्थित कार्यालय या किसी अन्य कार्यालय के "कार्य दिवस" से ऐसा दिवस अभिप्रेत है, जिसको वह कृत्य करता है किन्तु इसमें शनिवार या रविवार या ऐसा कोई अन्य दिवस सम्मिलित नहीं है, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा, यथास्थिति, नई दिल्ली के लिए या ऐसे किसी अन्य स्थान के लिए परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) के अधीन लोक अवकाश के रूप में घोषित किया गया है ;

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त ऐसे शब्दों और पदों का, जो परिभाषित नहीं है क्रमशः वही अर्थ होगा, जो उनका, यथास्थिति, अधिनियम या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में है ।

3. कतिपय परिस्थितियों में प्रक्रिया अवधारण करने की शक्ति. -

ऐसी किसी परिस्थिति में जिसके लिए इन विनियमों में कोई उपबंध नहीं किया गया है, आयोग लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, किसी विशिष्ट मामले में प्रक्रिया अवधारित कर सकेगा ।

4. मुद्रा और प्रतीक. -

आयोग की शासकीय मुद्रा और प्रतीक इसके साथ **अनुलग्नक** में उपदर्शित आलेख के अनुसार होंगे ।

5. आयोग की भाषा. -

आयोग की भाषा अंग्रेजी होगी ।

6. हिन्दी में दस्तावेजों को फाइल करना. -

इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, पक्षकार यदि वे ऐसी वांछा करते हैं तो दस्तावेज हिन्दी में फाइल कर सकेंगे :

परंतु उनसे संबंधित कोई भी सूचना, प्रतिनिर्देश या आवेदन अथवा अन्य पत्र अंग्रेजी भाषा से भिन्न किसी अन्य भाषा में आयोग द्वारा तब तक स्वीकार नहीं किए जाएंगे जब तक कि उनके साथ विनियम 7 में यथाविहित अनुसार, उनकी अंग्रेजी में सत्य अनुवाद की एक प्रति न लगी हो ।

7. दस्तावेजों का अनुवाद. -

ऐसे दस्तावेजों, जिन्हें अंग्रेजी में फाइल नहीं किया गया है, को आयोग द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किसी अनुवादक द्वारा अंग्रेजी में अनुदित किया जाएगा :

परंतु यह कि उपयुक्त मामलों में ऐसा कोई अनुवाद, जिस पर कार्यवाहियों के सभी पक्षकर सहमत हैं, आयोग द्वारा सत्य अनुवाद के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा ।

8. आयोग द्वारा मनाए जाने वाले अवकाश. -

(1) आयोग का प्रधान कार्यालय, शनिवार और रविवार के अलावा दिल्ली में केन्द्रीय सरकार द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) के अधीन घोषित अवकाशों को भी मनाएगा ।

(2) दिल्ली से भिन्न स्थानों पर स्थित आयोग का कोई अन्य कार्यालय शनिवार और रविवार के अलावा उस स्थान के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) के अधीन घोषित अवकाशों को भी मनाएगा ।

9. समय की संगणना. -

(1) जहां किसी कार्रवाई को करने या कार्यवाही को प्रारंभ करने के लिए इन विनियमों के अधीन किसी कार्य या घटना के लिए किसी दिवस से किसी अवधि की गणना करना विहित किया गया है, वहां वह समय, उक्त दिन या ऐसे कार्य या घटना, जिससे वह समय प्रारंभ होना है, को छोड़कर संगणित किया जाएगा ।

(2) जहां इन विनियमों के अधीन किसी कार्रवाई को करने या कार्यवाही को प्रारंभ करने के लिए कोई समय विहित अथवा अनुज्ञात किया गया है और वह समय शनिवार या रविवार या किसी ऐसे दिवस को समाप्त हो रहा है, जिसको आयोग का कार्यालय बंद है, वहां ऐसी कार्रवाई को या ऐसी कार्यवाही को शनिवार, रविवार या कार्यालय बंद रहने के दिवस के पश्चात् अगले प्रथम दिवस को प्रारंभ किया जा सकेगा ।

10. सूचना या प्रतिनिर्देश की अंतर्वस्तु. -

(1) सूचना या प्रतिनिर्देश (अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन किसी प्रतिनिर्देश को छोड़कर) में, अन्य बातों के साथ, पृथक और स्पष्ट रूप से निम्नलिखित **विशिष्टियों** का कथन होगा :-

(क) सूचना या प्रतिनिर्देश को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति या उद्यम का विधिक नाम ;

(ख) आयोग द्वारा समनों या सूचनाओं के प्रेषण के लिए पोस्टल इंडेक्स नंबर (पिन) कोड सहित भारत में पूर्ण डाक पता ;

(ग) टेलीफोन नं., फैक्स नं. और साथ ही इलैक्ट्रानिक मेल का पता, यदि उपलब्ध हो ;

(घ) सूचना या दस्तावेजों की तामील की वह पद्धति जिसे अधिमानता दी गई हो ;

(ङ) ऐसे उद्यम (उद्यमों) का, जिसने अभिकथित रूप से अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया है, विधिक नाम और पता (पते) ; और

(च) काउंसेल या अन्य प्राधिकृत प्रतिनिधि, यदि कोई हो, का विधिक नाम और पता ।

(2) उपविनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना या प्रतिनिर्देश में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगे -

(क) तथ्यों का संक्षिप्त विवरण ;

(ख) अधिनियम के अभिकथित उल्लंघन के ब्यौरे, प्रत्येक अभिकथित उल्लंघन के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले, यथास्थिति, सभी दस्तावेजों, शपथपत्रों और साक्ष्यों को सूचीबद्ध करने वाली सूची सहित ;

(ग) अभिकथित उल्लंघन के संबंध में संक्षिप्त वर्णन ;

(घ) मांगा गया अनुतोष, यदि कोई हो ;

(ङ) ऐसी अन्य विशिष्टियां, जिन्हें आयोग द्वारा अपेक्षित किया जाए ;

(3) उपविनियम (1) और (2) के अधीन उल्लिखित सूचना या प्रतिनिर्देश की अंतर्वस्तु, उनके परिशिष्टों और संलग्नकों के साथ पूर्ण होगी और उन्हें प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित किया जाएगा ।

11. सूचना या प्रतिनिर्देश पर हस्ताक्षर

(1) कोई सूचना या प्रतिनिर्देश या आयोग द्वारा जारी किसी सूचना या निदेश का कोई उत्तर निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा -

(क) स्वयं व्यष्टि द्वारा, जिसमें किसी प्रोपराइटरी फर्म का एकमात्र प्रोपराइटर सम्मिलित है ;

(ख) किसी हिन्दू अविभक्त कुटुंब (एचयूएफ) की दशा में कर्ता ;

(ग) किसी कंपनी की दशा में प्रबंध निदेशक और उसकी अनुपस्थिति में निदेशक बोर्ड द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई निदेशक;

(घ) किसी संगम या सोसाइटी या उसी प्रकार के किसी निकाय की दशा में अध्यक्ष या सचिव या उस विधिक लिखत, जिसके द्वारा संगम या सोसाइटी या निकाय का सृजन किया गया था, इस प्रकार प्राधिकृत कोई व्यक्ति ;

(ङ) किसी भागीदारी फर्म की दशा में कोई भागीदार :

(च) किसी सहकारी सोसाइटी या स्थानीय प्राधिकरण की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी ; और

(छ) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में वह व्यक्ति या उसकी ओर से कार्रवाई करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति ।

(2) कोई प्रतिनिर्देश, यदि वह केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार सया कानूनी प्राधिकरण से प्राप्त होता है तो भारत सरकार के संयुक्त सचिव या राज्य सरकार के किसी समतुल्य अधिकारी या किसी कानूनी प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के निम्न स्तर के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और अधिप्रमाणित नहीं किया जाएगा ।

(3) इन विनियमों के उपबंधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, काउंसेल, यथास्थिति, सूचना या प्रतिनिर्देश पर अपने हस्ताक्षर कर सकेगा ।

12. सूचना या प्रतिनिर्देश फाइल करने के लिए प्रक्रिया. -

(1) सूचना या प्रतिनिर्देश या आयोग को उनके प्रत्युत्तर को सचिव या सचिव द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को स्वयं व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा या सचिव अथवा ऐसे प्राधिकृत अधिकारी के नाम से रजिस्ट्रीकृत डाक या कुरियर सेवा या फैक्सीमाइल प्रेषण द्वारा भेजा जाएगा ।

(2) ऐसे किन्हीं पृथक या अतिरिक्त दस्तावेजों, जिन्हें कार्यवाहियों का कोई पक्षकार अपनी सूचना या प्रतिनिर्देश के समर्थन में प्रस्तुत करना चाहता है, को उक्त दस्तावेजों की प्रतियों को कार्यवाहियों के अन्य पक्षकारों को तामील करने के पश्चात् और ऐसी तामीली का दस्तावेजी सबूत संलग्न करते हुए सामान्य बैठक की तारीख से कम-से-कम सात दिन पूर्व "पुस्तिका" रूप में फाइल किया जाएगा । ऐसे दस्तावेजों को क्रम संख्यांकित किया जाएगा और उनकी अनुक्रमणिका तैयार की जाएगी और वे एक सत्यापन द्वारा समर्थित होंगे ।

(3) उपविनियम (1) के अधीन डाक या कुरियर सेवा द्वारा भेजी गई सूचना या प्रतिनिर्देश को उस तारीख को सचिव या सचिव द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को प्रस्तुत किया गया माना जाएगा, जिसको वह, यथास्थिति, सचिव या प्राधिकृत अधिकार के कार्यालय में प्राप्त होता है ।

13. सूचना या प्रतिनिर्देश को इलैक्ट्रानिक रूप में फाइल करने की प्रक्रिया. -

विनियम 12 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयोग को कोई सूचना या प्रतिनिर्देश किसी व्यक्ति या उद्यम द्वारा आयोग के सचिव को इलैक्ट्रानिक रूप में भेजा जा सकेगा, जो जब कभी आयोग द्वारा किसी लोक सूचना के माध्यम से वांछा की जाए, अभिदायी के अंकीय हस्ताक्षरों से सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित होगी :

स्पष्टीकरण - इस विनियम के प्रयोजन के लिए,-

(क) "अंकीय हस्ताक्षर" से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 के खंड (त) के अधीन यथापरिभाषित अंकीय हस्ताक्षर अभिप्रेत है ;

(ख) किसी सूचना या दस्तावेज के प्रतिनिर्देश से "इलैक्ट्रानिक रूप" से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 के खंड (द) के अधीन यथापरिभाषित इलैक्ट्रानिक रूप अभिप्रेत है ;

(ग) "अभिदायी" से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 के खंड (यछ) के अधीन यथापरिभाषित अभिदायी अभिप्रेत है ।

14. सचिव की शक्तियां और कृत्य. -

(1) आयोग के अभिलेख सचिव की अभिरक्षा में रहेंगे और वह ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जो अध्यक्ष द्वारा समनुदेशित किए जाएं ।

(2) भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (कारबार संव्यवहार हेतु बैठक) विनियम, 2009 के अधीन रहते हुए, सचिव सभी संबंधित व्यक्तियों को आयोग के निदेशों के अनुसार प्रत्येक बैठक की तारीख, समय और स्थान का परिचालन करेगा ।

(3) आयोग निम्नलिखित के लिए आयोग की ओर से नोडल अधिकारी होगा :-

(क) सभी कानूनी संसूचनाओं को देने या प्राप्त करने ;

(ख) अधिनियम की धारा 18 के अनुसार आयोग और केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी औपचारिक सबध को बनाने, जिसके अंतर्गत किसी विदेशी प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण या अन्य अभिकरण के साथ किसी ज्ञापन या ठहराव पर हस्ताक्षर करना भी है ।

(4) आयोग सचिव के नाम से कोई वाद कर सकेगा या उसपर कोई वाद किया जा सकेगा और आयोग का सभी कार्यवाहियों में, जिनके अंतर्गत अधिकरण के समक्ष अपीलें भी हैं, सचिव के नाम से प्रतिनिधित्व किया जाएगा ।

(5) अधिनियम की धारा 51 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सचिव, अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (3) के अधीन गठित समिति के सदस्यों की निम्नलिखित के संबंध में सहायता करेगा :-

(क) आयोग के वार्षिक बजट को तैयार करने और उसका अनुमोदन करने ।

(ख) प्रतिस्पर्धा निधि के प्रशासन ।

(6) सचिव आयोग की शासकीय मुद्रा को अपनी अभिरक्षा में रखेगा । आयोग की शासकीय मुद्रा को सचिव के लिखित प्राधिकार के अधीन और उसके सिवाय किसी भी दस्तावेज, जिसके अंतर्गत आयोग के आदेशों की प्रमाणित प्रतियां भी हैं, पर नहीं लगाया जाएगा ।

(7) उपविनियम (1) के अधीन रहते हुए, सचिव के पास आयोग के समक्ष लाए गए विषयों का समयपूर्वक और दक्ष निपटान सुनिश्चित करने तथा अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित शक्तियां होंगी और वह निम्नलिखित कृत्य करेगा :-

(क) प्रकीर्ण आवेदनों और कार्यवाहियों के स्थानांतरण के लिए अन्य दस्तावेजों और आस्थगन के लिए आवेदन, आदि सहित सभी सूचनाओं, प्रतिनिर्देशों, आवेदनों या दस्तावेजों को प्राप्त, पृष्ठांकित और प्रवर्गीकृत करना ;

(ख) जहां कहीं लागू हो, प्राप्त फीस की राशि की जांच करना और उसे समय पर आयोग के खाते में जमा कराना सुनिश्चित करना ;

(ग) इस प्रकार प्राप्त सभी सूचनाओं, प्रतिनिर्देशों, आवेदनों या दस्तावेजों की यह पता लगाने के लिए संवीक्षा करना कि क्या वे नियमों और विनियमों के अनुरूप हैं ;

(घ) ऐसी सूचनाओं, प्रतिनिर्देशों, आवेदनों या दस्तावेजों की त्रुटियों को इंगित करना और पक्षकारों से ऐसी त्रुटियों को सुधारने की अपेक्षा करना ;

(ङ) ऐसी सूचनाओं, प्रतिनिर्देशों, आवेदनों या दस्तावेजों की प्रतियों को, उनके संलग्नकों के साथ संबंधित पक्षकारों, जिनके अंतर्गत महानिदेशक भी हैं, पर सुसंगत समय के भीतर तामील करना ;

(च) सूचना या प्रतिनिर्देश या दस्तावेज पर, यह विनिश्चय करने के लिए कि क्या कोई प्रथम दृष्टया मामला विद्यमान है, विचार करने के लिए आयोग की सामान्य बैठक की तारीख की सूचना की तामील करना और महानिदेशक की रिपोर्ट की प्राप्ति और उसपर विचार करने के पश्चात् अन्वेषण या जांच की सूचना जारी करने संबंधी आयोग के निदेशों को संप्रेषित करना ;

(छ) किसी पक्षकार की मृत्यु या किसी पक्षकार को दिवालीया अधिनिर्णित किए जाने की दशा में, कार्यवाहियों के पक्षकारों द्वारा आवेदन किए जाने पर निष्पादकों, प्रशासकों या अन्य विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाना ;

(ज) सूचना या अन्य आदेशिका की तामील को सत्यापित करना और यह सुनिश्चित करना कि पक्षकारों को समुचित रूप से तामील की गई है ;

(झ) आयोग के निदेश पर किसी अन्य प्राधिकरण की अभिरक्षा से अभिलेखों की अध्यपेक्षा करना ;

(ञ) आयोग के अभिलेखों का निरीक्षण अनुज्ञात करना ;

(ट) आयोग के आदेश पर किसी पक्षकार या प्राधिकरण द्वारा फाइल किए गए दस्तावेजों को वापस करना ;

(ठ) आयोग के आदेशों को प्रमाणित करना और उनकी प्रतियां पक्षकारों को जारी करना ;

(ड) इन विनियमों के अनुसार कार्यवाहियों में फाइल किए गए दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां पक्षकारों को प्रदान करना ;

(ढ) इन विनियमों के अनुसार, प्रकाशन के लिए आयोग के आदेशों की प्रमाणित प्रतियां प्रदान करना ;

(ण) सूचनाओं या अन्य संबंधित आदेशिकाओं की तामील, नई सूचना जारी करने के लिए या समय के विस्तारण के लिए आवेदनों या किसी पक्षकार पर किसी विशिष्ट पद्धति से तामील करने का आदेश देने, जिसके अंतर्गत, यथास्थिति, समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा सूचना का प्रकाशन या इसे वेबसाइट पर रखना भी है, से संबंधित सभी मामलों का निपटारा करना ;

(त) किसी सामान्य बैठक के दौरान किसी कार्यवाही के अभिलेख का संकलन करना और उसे सुरक्षित रखना, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित हैं :-

(i) घटनाओं को उनके समय के अनुसार सूचीबद्ध करना ;

(ii) दस्तावेजों को प्रारंभ करना ;

(iii) बैठक की सूचना ;

(iv) महानिदेशक की रिपोर्ट, यदि कोई हो ;

(v) विशेषज्ञ की राय, यदि कोई हो ;

(vi) किया गया कोई अंतरिम आदेश ;

(vii) फाइल किए गए सभी दस्तावेजी साक्ष्य ;

(viii) दिए गए मौखिक साक्ष्य की प्रतिलिपि, यदि कोई हो ;

(ix) आयोग का अंतिम आदेश या निर्णय ।

(थ) अधिनियम की धारा 57 के अधीन रहते हुए जानकारी प्रकट करना ;

(द) इन विनियमों के अनुसार दस्तावेजों या साक्ष्यों या विवरणों या किसी विश्लेषण की गोपनीयता को, उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखकर सुनिश्चित करना ;

(ध) प्रवृत्त प्रतिधारिता अनुसूची और अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों के अनुसार अभिलेखों का अनुरक्षण प्रारंभ करना, जिसके अंतर्गत अभिलेखों का व्ययन करना भी है ;

(न) यदि आयोग ऐसा निदेश दे तो अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (3) के अधीन आयोग के आदेशों या निदेशों के अननुपालन के लिए मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली के समक्ष शिकायत फाइल करना ।

15. त्रुटियों को दूर करने के लिए सूचना या प्रतिनिर्देश की संवीक्षा की प्रक्रिया. -

(1) आयोग में प्राप्त प्रत्येक सूचना या प्रतिनिर्देश की सचिव द्वारा यह जांच करने के लिए संवीक्षा की जाएगी कि क्या वे इन विनियमों के अनुरूप है और त्रुटियों, यदि कोई हों, को एक युक्तियुक्त समय, जो निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा, के भीतर पक्षकार को संसूचित किया जाएगा :

(क) अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन प्राप्त किसी सूचना या प्रतिनिर्देश की दशा में पंद्रह दिन ; या

(ख) अधिनियम की धारा 21 या धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन प्राप्त किसी प्रतिनिर्देश की दशा में सात दिन ।

(2) यथास्थिति, अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट सूचना प्रदाता या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (ख) अथवा धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट कानूनी प्राधिकरण, उपविनियम (1) के अधीन त्रुटियों की संसूचना की प्राप्ति पर यथासंभवशीघ्र, निम्नलिखित अवधि के भीतर त्रुटियों को दूर करेगा :-

(क) अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन किसी सूचना या प्रतिनिर्देश की दशा में संसूचना की प्राप्ति से तीस दिन ; या

(ख) अधिनियम की धारा 21 या धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन किसी प्रतिनिर्देश की दशा में संसूचना की प्राप्ति से पंद्रह दिन ।

(3) उस दशा में, जहां यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या क़ानूनी प्राधिकरण या संबंधित पक्षकार द्वारा उपविनियम (2) के उपबंधों के अनुसार त्रुटियों को दूर नहीं किया जाता है, वहां सूचना या प्रतिनिर्देश को अविधिमान्य माना जाएगा :

परंतु यह कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कानूनी प्राधिकरण या संबंधित पक्षकार लागू फीस के साथ आयोग द्वारा विचार किए जाने के लिए नई सूचना, प्रतिनिर्देश या आवेदन फाइल करने का हकदार होगा ।

(4) उपविनियम (3) के अधीन किसी सूचना को अविधिमान्य माने जाने की दशा में ऐसी सूचना पर संदत्त फीस को जब्त कर लिया जाएगा ।

(5) इसमें ऊपर अंतर्विष्ट कोई बात आयोग को ऐसी किसी सूचना या प्रतिनिर्देश की अंतर्वस्तु को, अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के किसी संभाव्य उल्लंघन हेतु जांच के लिए ऐसी रीति में उपयोग करने से निवारित नहीं करेगी जिसे वह उचित समझे :

परंतु यह कि ऐसे प्रतिनिर्देशों में त्रुटियों को दूर करने में लगने वाले समय को अधिनियम की, यथास्थिति, धारा 21 की उपधारा (2) या धारा 49 की उपधारा (1) में आयोग द्वारा राय देने के लिए उपबंधित साठ दिन की अवधि की संगणना में गिनती में नहीं लिया जाएगा ।

16. प्रथम दृष्टया मामला विद्यमान होने संबंधी राय. -

(1) सचिव, यथास्थिति, किसी सूचना या प्रतिनिर्देश की संवीक्षा और त्रुटियों, यदि कोई हों, के निवारण के पश्चात्, उसे आयोग के समक्ष रखेगा ताकि वह किसी प्रथम दृष्टया मामले की विद्यमानता के संबंध में अपनी राय बना सके ।

(2) अभिकथित प्रति - प्रतिस्पर्धा करारों और/या प्रधान स्थिति के दुरूपयोग के मामलों में अयोग, यथाशक्य रूप से साठ दिन के भीतर प्रथम दृष्टया मामले की विद्यमानता के संबंध में अपनी राय अभिलिखित करेगा ।

(3) आयोग, यथासंभवशीघ्र, यह विचार करने के लिए कि क्या प्रथम दृष्टया मामला विद्यमान है, सचिव द्वारा उपविनियम (1) के अधीन उसके समक्ष मामला रखे जाने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर अपनी पहली सामान्य बैठक आयोजित करेगा ।

17. प्रारंभिक सम्मेलन. -

(1) आयोग, यदि वह आवश्यक समझता है तो इस संबंध में अपनी राय बनाने के लिए कि क्या प्रथम दृष्टया मामला विद्यमान है, प्रारंभिक सम्मेलन बुला सकेगा ।

(2) आयोग प्रारंभिक सम्मेलन के लिए सूचना प्रदाता और ऐसे अन्य व्यक्तियों, जो आवश्यक हों, को आमंत्रित कर सकेगा ।

(3) किसी प्रारंभिक सम्मेलन में प्रक्रिया के औपचारिक नियमों को अपनाया जाना आवश्यक नहीं है ।

(4) आयोग प्रारंभिक सम्मेलन के न्यायोचित, शीघ्र और सस्ते आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा, जिन्हें वह उचित समझे और वह उस प्रक्रम पर ग्रहण किए जा सकने वाले साक्ष्य के संबंध में विनिश्चय कर सकेगा ।

18. प्रथम दृष्टया मामले के संबंध में अन्वेषण कराने के लिए निदेश जारी करना. -

(1) जहां आयोग की यह राय है कि प्रथम दृष्टया मामला विद्यमान है, वहां सचिव आयोग के मामले का अन्वेषण करने और निदेशों में विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निदेशों की संसूचना महानिदेशक को देगा ।

(2) महानिदेशक को अन्वेषण करने के निदेश के संबंध में यह माना जाएगा कि अधिनियम की धारा 20 के अधीन कोई जांच प्रारंभ की गई है ।

19. कोई प्रथम दृष्टया मामला न पाए जाने पर आदेश की संसूचना. -

जहां आयोग की यह राय है कि प्रथम दृष्टया मामला विद्यमान नहीं है, वहां सचिव अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2) में उपबंधित किए गए अनुसार, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कानूनी प्राधिकरण या संबंधित पक्षकारों को तुरंत मामले को बंद करने के संबंध में आयोग के आदेश की एक प्रति भेजेगा ।

20. महानिदेशक द्वारा अन्वेषण. -

(1) सचिव, विनियम 18 के अधीन आयोग के निदेशों को संप्रेषित करते समय, यथास्थिति, सूचना या प्रतिनिर्देश की, अन्य सभी दस्तावेजों या सामग्रियों या शपथपत्रों या विवरणों के साथ, जिन्हें उक्त

सूचना या प्रतिनिर्देश के साथ अथवा प्रारंभिक सम्मेलन के समय महानिदेशक को फाइल किया गया है, प्रतियां भेजेगा ।

(2) आयोग महानिदेशक को ऐसे समय के भीतर, जो सुसंगत आंकड़े एकत्रित करने, बयानों को लेखबद्ध करने, साक्षियों की प्रति परीक्षा के लिए अवसर प्रदान करने और किसी विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में अन्य आवश्यक विश्लेषण करने के लिए उचित हो, महानिदेशक को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश देगा ।

(3) आयोग, महानिदेशक द्वारा आवेदन किए जाने पर, रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय को विस्तारित कर सकेगा ।

(4) महानिदेशक की रिपोर्ट में, यथास्थिति, सूचना या निर्देश में किए गए प्रत्येक अभिकथन पर उसके निष्कर्ष और साथ ही अन्वेषण के दौरान एकत्रित सभी साक्ष्य या दस्तावेज या विवरण या विश्लेषण अंतर्विष्ट होंगे ।

(5) महानिदेशक आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर, दस्तावेज फार्मेट में एक सॉफ्ट प्रति के साथ अपनी रिपोर्ट की आठ प्रतियां सचिव को अग्रेषित करेगा :

परंतु यह कि सचिव जब कभी अपेक्षित हो, और अधिक प्रतियों के लिए अनुरोध कर सकेगा ।

(6) यदि रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् आयोग की राय यह है कि आगे और अन्वेषण करना आवश्यक है तो वह, महानिदेशक को ऐसा और अन्वेषण करने और निदेश में विनिर्दिष्ट युक्तियुक्त समय के भीतर विनिर्दिष्ट मुद्दों पर एक अनुपूरक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा ।

(7) विनियम 22 के उपविनियम (2) में निर्दिष्ट आक्षेपों या सुझावों पर विचार करने के पश्चात् यदि आयोग विषय के किन्हीं विनिर्दिष्ट मुद्दों पर महानिदेशक द्वारा आगे और अन्वेषण करने का निदेश देता है, तो सचिव आयोग के निदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसे और अन्वेषणों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने संबंधी निदेश को महानिदेशक को संप्रेषित करेगा ।

21. धारा 26 के अधीन जांच के लिए प्रक्रिया. -

(1) महानिदेशक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, सचिव अग्रिम आदेशों के लिए उक्त रिपोर्ट को आयोग के समक्ष रखेगा और आयोग के निदेशोंनुसार उसकी प्रतियां, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कानूनी प्राधिकरण या सबंधित पक्षकारों को अग्रेषित करेगा ।

(2) यदि महानिदेशक की रिपोर्ट से अधिनियम के उपबंधों का कोई उल्लंघन सामने नहीं आता है तो सचिव महानिदेशक की ऐसी रिपोर्ट पर, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कानूनी प्राधिकरण या सबंधित पक्षकारों से आक्षेप या सुझाव आमंत्रित करते हुए उन्हें आयोग के निदेशों का संप्रेषण करेगा ।

(3) यदि आयोग उपविनियम (2) में निर्दिष्ट आक्षेपों या सुझाव, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् मामले को बंद करने का आदेश करता है और महानिदेशक के निष्कर्षों पर सहमति प्रदान करता है तो सचिव, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कानूनी प्राधिकरण या सबंधित पक्षकारों को आयोग के आदेशों का संप्रेषण करेगा ।

(4) यदि आयोग उपविनियम (2) में निर्दिष्ट आक्षेपों या सुझाव, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् महानिदेशक द्वारा मामले में और अन्वेषण करने या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत आयोग के किसी अधिकारी द्वारा मामले में और जांच करने का आदेश देता है तो सचिव, यथास्थिति, महानिदेशक या इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी को आयोग के निदेशों का संप्रेषण करेगा ।

(5) आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, उसे उपविनियम (4) के अधीन और आगे जांच करने के लिए अपेक्षित विनिर्दिष्ट पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों की प्रस्तुती को उचित ठहराते हुए किए गए आवेदन पर, आयोग किसी व्यक्ति को, अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार ऐसे व्यक्ति या उद्यम द्वारा किए जा रहे किसी व्यापार के संबंध में ऐसी विनिर्दिष्ट पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का निदेश देगा :

स्पष्टीकरण - इस उपविनियम के प्रयोजन के लिए, "अधिकारी" पद में अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) या धारा 36 की उपधारा (3) के अधीन उल्लिखित विशेषज्ञ और वृत्तिक सम्मिलित होंगे ।

(6) यथास्थिति, आगे और अन्वेषण पर महानिदेशक या आगे और जांच पर प्राधिकृत अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, सचिव उन पर विचार करने के लिए आयोग की बैठक तय करेगा ।

(7) यदि उपविनियम (1) के अधीन उल्लिखित महानिदेशक की रिपोर्ट से अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन का पता चलता है तो सचिव, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कानूनी प्राधिकरण या सबंधित पक्षकारों से आक्षेप या सुझाव आमंत्रित करने के लिए आयोग के आदेश अभिप्राप्त करेगा ।

(8) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कानूनी प्राधिकरण या सबंधित पक्षकारों से प्राप्त आक्षेप या सुझाव पर विचार करने के पश्चात् या यथास्थिति, आगे और अन्वेषण या जांच संबंधी रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यदि आयोग की यह राय है कि और अधिक जांच की आवश्यकता है तो सचिव विनियम 22 के अनुसार, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कानूनी प्राधिकरण या सबंधित पक्षकारों को सूचना जारी करने के पश्चात् उनपर विचार करने के लिए आयोग की बैठक तय करेगा ।

(9) सचिव अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (7) या उपधारा (8) के अधीन जांच के लिए आयोग की बैठक की तारीखों की सूचना महानिदेशक को देगा, ताकि वह अधिनियम की धारा 35 के उपबंधों के अनुसार स्वयं या अपने किसी अधिकारी के माध्यम से बैठक में उपस्थित हो सके ।

22. सूचना की तामील की पद्धति. -

(1) इन विनियमों के अधीन किसी व्यक्ति पर तामील करने या परिदत्त करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक सूचना या अन्य दस्तावेज को व्यक्तिगत रूप से तामील किया जाएगा या रजिस्ट्रीकृत डाक या द्रुत डाक या कुरियर सेवा द्वारा उस व्यक्ति द्वारा तामील के लिए प्रस्तुत उसके पते पर अथवा ऐसे स्थान पर भेजा जा सकेगा जहां वह व्यक्ति सामान्यतः निवास करता है या कारबार अथवा व्यवसाय करता है या अभिलाभ के लिए संकर्म करता है ।

(2) इसके अतिरिक्त इसे फैक्सीमाइल प्रेषण या इलैक्ट्रानिक मेल द्वारा भी भेजा जा सकेगा । फैक्सीमाइल प्रेषण में एक आवरण पृष्ठ अंतर्विष्ट होगा जिसमें प्रेषिती, विषय, प्रेषण की तारीख और प्राप्तिकर्ता के नाम और टेलीफोन नं. के ब्यौरे होंगे ।

(3) डाक या कुरियर कर्मचारी द्वारा इस संबंध में किया गया पृष्ठांकन कि प्राप्तिकर्ता अथवा उसके अभिकर्ता ने सूचना को स्वीकार करने से इंकार कर दिया है, को लेने से इंकार द्वारा तामील का सबूत माना जाएगा ।

(4) उस दशा में, जहां डाक या कुरियर कर्मचारी यह रिपोर्ट देता है कि प्राप्तिकर्ता ने दिए गए पते पर रहना बंद कर दिया है या वह उपलब्ध नहीं है, वहां आयोग उसे प्रस्तुत जानकारी का अवलंब लेते हुए ऐसा मत बना सकेगा जो उसे उपयुक्त लगे और प्रतिस्थापित तामील के लिए उपाय करने संबंधी कार्यवाही कर सकेगा ।

(5) जहां समनों या सूचना पर उचित रूप से पता लिखा गया था, पूर्व संदाय किया गया था और अभिस्वीकृति सहित रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा सम्यक् रूप से भेजा गया था, किन्तु अभिस्वीकृति खो गई है या गलत प्रस्तुत कर दी गई है या किसी अन्य कारण से समन जारी करने की तारीख से तीस दिन के भीतर आयोग को प्राप्त नहीं हुई है वहां आयोग इसे पर्याप्त तामील मानेगा और तदनुसार घोषणा करेगा ।

(6) जहां ऊपर निर्दिष्ट पद्धतियों द्वारा सूचना की तामील संभव नहीं है और जहां प्राप्तिकर्ता का पता नहीं लगाया जा सकता, वहां तामील को ऐसे गृह के, जिसमें प्राप्तिकर्ता सामान्यतः निवास करता है, किसी प्रमुख भाग पर समन या सूचना की प्रति को चिपकाकर किया जाएगा और ऐसी तामील को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908(1908 का 5) के नियम 20 के आदेश 5 को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त माना जाएगा ।

(7) जहां आयोग का यह समाधान हो गया है कि सूचना का प्राप्तिकर्ता तामील से बचने की चेष्टा कर रहा है या किसी अन्य कारण से सूचना की तामील सामान्य ढंग से नहीं की जा सकती है वहां वह ऐसे अवस्थान में, जहां प्राप्तिकर्ता अंतिम ज्ञात रूप से निवास करता था, परिचालित किसी दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन देकर तामील करने का आदेश देगा ।

23. आयोग के समक्ष फाइल करना. -

(1) सभी सूचनाएं या प्रतिनिर्देश या उनके प्रत्युत्तर या ऐसे अन्य दस्तावेज, जिन्हें आयोग के समक्ष फाइल करना अपेक्षित है, ए4 आकार (210x 297 मिमी या 8.27"x 11.69") के सफेद बांड पृष्ठ पर एरियल 12 के फोंट में डबल स्पेस और बाईं ओर दो इंच का और अन्य सभी ओर से एक इंच का मार्जिन छोड़ते हुए केवल एक ओर टंकित किए जाएंगे ।

(2) प्रदर्शों या अनुलग्नकों के रूप में केवल स्पष्ट और सुपठनीय फोटो प्रतियों या स्कैन किए गए दस्तावेजों को ही, जो सत्यप्रतियों के रूप में सत्यापित हो, फाइल किया जा सकेगा ।

(3) उपविनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक दस्तावेज की आठ प्रतियों को, जहां कहीं सभव हो, दस्तावेज फार्मेट में एक अतिरिक्त सॉफ्ट प्रति के साथ फाइल किया जाएगा :

परंतु यह कि सचिव, लोक उदघोषणा के माध्यम से, आयोग के सदस्यों की संख्या और कार्यवाहियों के पक्षकारों की संख्या पर निर्भर करते हुए फाइल की जाने वाली प्रतियों की संख्या में वृद्धि या कमी कर सकेगा :

परंतु यह और कि सचिव, लोक उदघोषणा के माध्यम से ऐसे प्ररूप में परिवर्तन कर सकेगा, जिसमें सॉफ्टप्रति फाइल की जानी है ।

24. आयोग की किसी कार्यवाही में पक्षकार सम्मिलित करने या प्रतिस्थापित करने की शक्ति -

(1) आयोग किसी सामान्य बैठक में, कार्यवाहियों के किसी पक्षकार द्वारा लिखित आवेदन किए जाने पर, व्यक्तियों या उद्यमों की किसी भी संख्या को संयुक्त रूप से, संयुक्त और पृथक रूप से, पृथक रूप से या विकल्प के रूप में उन्हीं कार्यवाहियों में पक्षकार के रूप में सम्मिलित कर सकेगा, यदि -

(क) उस कार्रवाई या संव्यवहार या कार्रवाइयों या संव्यवहारों की श्रृंखला के संबंध में या उनसे उदभूत होने वाले अनुतोष के संबंध में अभिकथित रूप से ऐसे आवेदकों में कोई अधिकार विद्यमान है, चाहे वह संयुक्त रूप से, संयुक्त और पृथक रूप से या विकल्प के रूप में हो ;

(ख) आवेदक आयोग के समाधानप्रद रूप में यह दर्शित कर सकते हैं कि विधि या तथ्य का कोई समान प्रश्न उदभूत होगा ; और

(ग) आयोग का यह समाधान हो जाता है कि यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति अथवा उद्यम द्वारा उसके समक्ष विद्यमान किसी मुद्दे के अवधारण के लिए भाग लेना आवश्यक है ।

(2) यदि किन्हीं कार्यवाहियों में किसी विद्यमान पक्षकार को किसी व्यक्ति या उद्यम द्वारा प्रतिस्थापित करना आवश्यक हो जाता है, वहां आयोग ऐसे प्रतिस्थापन के लिए आदेश कर सकेगा ।

(3) उपविनियम (1) या उपविनियम (2) के अधीन कार्यवाहियों में सम्मिलित किए गए किसी पक्षकार द्वारा कोई आवेदन किए जाने पर, सचिव, यथास्थिति, पक्षकार के रूप में सम्मिलित या प्रतिस्थापित व्यक्ति या उद्यम को, जैसा कि आयोग द्वारा विनिश्चित किया जाए, आदेश के दस दिन के भीतर अन्य पक्षकारों द्वारा उस मामले में पूर्व में फाइल किए गए सभी दस्तावेजों की प्रतियां अग्रेषित करेगा ।

(4) उपविनियम (1) या उपविनियम (2) के अधीन किया गया कोई आदेश कार्यवाहियों में किसी पूर्व प्रक्रम पर की गई किसी कार्रवाई को प्रभावित नहीं करेगा ।

25. आयोग की किसी व्यक्ति या उद्यम को कार्यवाहियों में भाग लेने की अनुमति प्रदान करने की शक्ति. -

(1) यदि आयोग का, किसी सामान्य बैठक में किसी मामले पर विचार करते समय, उसे लिखित में किए गए आवेदन पर यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति या उद्यम का कार्यवाहियों के परिणाम में कोई सारवान हित है और यह कि ऐसे व्यक्ति या उद्यम को उस मामले में उसका विचार प्रस्तुत करने की अनुज्ञा देना लोकहित में है तो वह ऐसे व्यक्ति या उद्यम को अपनी ऐसी राय प्रस्तुत करने और मामले की आगे और कार्यवाहियों में भाग लेने, जैसा कि आयोग विनिर्दिष्ट करे, की अनुमति दे सकेगा ।

(2) उपविनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन के साथ विनियम 49 के अनुसार फीस के संदाय का सबूत संलग्न होगा ।

(3) उपविनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होगा :-

(क) अनुरोध करने वाले व्यक्ति या उद्यम का विधिक नाम ;

(ख) सूचना या दस्तावेजों की तामील के लिए भारत में पता ;

(ग) टेलीफोन नं., फेक्सीमाइल नं. और इलैक्ट्रानिक मेल का पता, यदि उपलब्ध हो ;

(घ) सूचना या दस्तावेजों की तामील के लिए प्रयुक्त की जाने वाली पद्धति ;

(ङ) कार्यवाहियों में ऐसे मुद्दे के विषय का संक्षिप्त विवरण, जो अनुरोध करने वाले व्यक्ति या उद्यम को प्रभावित करता है ;

(च) कथन के समर्थन में दस्तावेज या शपथपत्र या साक्ष्य, उनकी एक सूची के साथ ।

(4) उपविनियम (1) के अधीन कोई आदेश किए जाने पर ;

(क) किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर, सचिव, कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए अनुमति प्रदान किए गए व्यक्ति या उद्यम को, जैसा कि आयोग द्वारा विनिश्चित किया जाए, ऐसे आदेश के दस दिन के भीतर अन्य पक्षकारों द्वारा उस मामले में पूर्व में फाइल किए गए ऐसे दस्तावेजों की प्रतियां अग्रेषित करेगा ;

(ख) कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए अनुमति प्रदान किया गया व्यक्ति या उद्यम उपविनियम (3) के अधीन फाइल किए गए दस्तावेजों की प्रतियां आदेश के दस दिन के भीतर कार्यवाही के सभी अन्य पक्षकारों को अग्रेषित करेगा ।

26. अनावश्यक पक्षकारों को हटाने की शक्ति. -

आयोग, उसके समक्ष कार्यवाहियों के किसी पक्षकार द्वारा सामान्य बैठक के दौरान किए गए किसी आवेदन पर, यह कथन करते हुए कि किसी पक्षकार द्वारा या उसके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं मांगा गया है या उसे या उसके विरूद्ध कोई अनुतोष मंजूर नहीं किया जाना है, ऐसे पक्षकार को कार्यवाहियों से हटाने की अनुमति प्रदान कर सकेगा ।

27. बहु सूचनाएं सम्मिलित करने संबंधी आयोग की शक्ति. -

(1) यदि आयोग का, कोई सूचना या कोई प्रतिनिर्देश या कोई आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् किसी भी समय यह समाधान हो जाता है कि किसी पश्चातवर्ती सूचना या प्रतिनिर्देश या आवेदन में उठाया गया विषय प्रत्यक्षतः और सारवान रूप से एक समान है तो वह दो या अधिक एक समान, यथास्थिति, सूचनाओं या प्रतिनिर्देशों या आवेदनों को विचारार्थ संयुक्त कर सकेगा ।

(2) यदि महानिदेशक का, अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन आयोग से अन्वेषण के लिए कोई सूचना या प्रतिनिर्देश प्राप्त होने के पश्चात् किसी भी समय यह समाधान हो जाता है कि किसी पश्चातवर्ती सूचना या प्रतिनिर्देश या आवेदन में उठाया गया विषय प्रत्यक्षतः और सारवान रूप से एक समान है तो वह आयोग से दो या अधिक एक समान, यथास्थिति, सूचनाओं या प्रतिनिर्देशों या आवेदनों पर समान अन्वेषण करने के लिए संयुक्त करने का अनुरोध कर सकेगा ।

(3) जहां आयोग उपविनियम (1) और उपविनियम (2) के अनुसार दो या अधिक सूचनाओं या प्रतिनिर्देशों या आवेदनों को संयुक्त करता है, वहां -

(क) यथास्थिति, ऐसी प्रत्येक सूचना या प्रतिनिर्देश, उसके स्वयं की डाकेट संख्या द्वारा पृथक रूप से पहचाना जाता रहेगा ;

(ख) आयोग द्वारा सूचनाओं या प्रतिनिर्देशों को संयुक्त करने संबंधी निर्णय लंबित रहने के दौरान, महानिदेशक मामलों का अन्वेषण जारी रख सकेगा ।

28. सूचना का संशोधन. -

आयोग, इस संबंध में कोई आवेदन किए जाने पर किसी सूचना में संशोधन की अनुमति दे सकेगा किन्तु ऐसे संशोधन की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जो सूचना की प्रकृति और विस्तार में सारवान परिवर्तन करता है ।

29. आयोग के समक्ष पक्षकारों द्वारा प्रस्तुतीकरण या तर्क-वितर्क करने की रीति. -

(1) अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, किसी कार्यवाही के पक्षकार या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि, शीघ्रातिशीघ्र अवसर पर आयोग के समक्ष यह घोषणा करेंगे कि क्या वे अधिनियम की धारा 26 के अधीन किसी जांच के अनुक्रम के दौरान मौखिक प्रस्तुतीकरण करेंगे या लिखित तर्क फाइल करेंगे :

परंतु यह कि जहां यथास्थिति, किसी कार्यवाही के पक्षकार या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों ने लिखित तर्क फाइल करने का चयन किया है, वहां वे उनकी प्रतियों को कार्यवाहियों के सभी अन्य पक्षकारों को पर्याप्त समय पूर्व अग्रेषित करने की व्यवस्था करेंगे और आयोग द्वारा

मामले पर विचार करने की नियत तारीख से पूर्व सचिव को सभी पक्षकारों द्वारा उनकी प्राप्ति का सबूत प्रस्तुत करेंगे ।

(2) उपविनियम (1) के अधीन रहते हुए, आयोग ऐसे समय को, जिसके दौरान, यथास्थिति, किसी कार्यवाही के पक्षकार या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा फाइल किए गए मौखिक प्रस्तुतीकरणों या लिखित तर्कों को संबोधित किया जाएगा, तय या सीमित कर सकेगा और वह किसी ऐसे पक्षकार की अनुपस्थिति में मामले का विनिश्चय करने के लिए कार्यवाही कर सकेगा, जो विनियम 30 के अनुसार ऐसे समयों से आबद्ध नहीं रहता है :

परंतु यह कि किसी विशिष्ट मामले में मौखिक प्रस्तुतीकरण करने या लिखित तर्क फाइल करने के लिए समयों के संबंध में विनिश्चय आयोग द्वारा किया जाएगा ।

30. आयोग की किसी पक्षकार की उपस्थिति में कार्यवाही जारी रखने की शक्ति. -

(1) जहां किसी सामान्य बैठक के दौरान किसी विशिष्ट मामले के लिए नियत दिवस को, जिसके अंतर्गत आस्थगन पर पुनः बैठक करने का दिवस भी सम्मिलित है, यदि कार्यवाही का कोई पक्षकार या पक्षकार सूचना की तामील के पश्चात् या तारीख को नोट कर लेने के पश्चात् भी उपसंजात नहीं होते हैं तो आयोग, यथास्थिति, ऐसे पक्षकार या पक्षकारों की अनुपस्थिति में कार्यवाही जारी रखने का विनिश्चय कर सकेगा और ऐसे उचित आदेश पारित कर सकेगा जिन्हें वह ठीक समझे ।

(2) यदि कोई पक्षकार विहित समय के भीतर आवश्यक जानकारी तक पहुंच प्रदान करने या उसे उपलब्ध कराने से इंकार करता है या महत्वपूर्ण रूप से अन्वेषण में बाधा डालता है तो आयोग, उसे उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जैसा उचित समझता है, आदेश पारित कर सकेगा ।

(3) जहां आयोग द्वारा उपविनियम (1) या उपविनियम (2) के अधीन कोई आदेश पारित किया गया है और पक्षकार यह उपदर्शित करता है कि उसे आयोग के समक्ष कार्यवाहियों में भाग लेने और /या अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने से, उसके नियंत्रण से परे किन्हीं कारणों से निवारित किया गया था, वहां आयोग इस प्रकार समाधान हो जाने पर आदेश को रद्द कर सकेगा ।

31. आयोग के आदेश. -

(1) जहां आयोग ने, किसी जांच के दौरान, आदेश द्वारा किसी पक्षकार को अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) या धारा 4 की उपधारा (1) के उल्लंघन में तब तक कोई कार्रवाई करने से अस्थायी रूप से निर्बंधित किया है, जब तक कि अधिनियम की धारा 33 के अधीन ऐसी जांच का निष्कर्ष न निकले या अगले आदेश न किए जाएं, वहां ऐसे आदेश पर, यदि कोई हो, सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और तारीख डाली जाएगी, जिसके अंतर्गत यदि कोई विरोध का मामला है तो विरोधी सदस्य द्वारा विरोधी टिप्पण भी है और ऐसा आदेश शीघ्रातिशीघ्र किया जाएगा ।

(2) जहां आयोग ने किसी जांच के दौरान उपविनियम (1) में निर्दिष्ट कोई अंतरिम आदेश पारित किया है, वहां वह उसके पश्चात् यथासंभवशीघ्र, उस पक्षकार की, जिसके विरूद्ध ऐसा कोई आदेश किया गया है, सुनवाई करेगा ।

32. अंतिम आदेश.-

(1) आयोग के प्रत्येक आदेश पर सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और तारीख डाली जाएगी, जिसके अंतर्गत यदि कोई विरोध का मामला है तो विरोधी सदस्य द्वारा विरोधी टिप्पण भी है ।

(2) आयोग के प्रत्येक आदेश या निर्णय को, यथाशक्य रूप से अंतिम बहस की समाप्ति की तारीख से इक्कीस कार्य दिवसों के भीतर किया जाएगा ।

(3) आदेश की सचिव द्वारा अथवा सचिव द्वारा प्राधिकृत ऐसे किसी अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित प्रति को, आदेश की तारीख से चार सप्ताह के भीतर विनियम 22 में उपबंधित किए गए अनुसार कार्यवाहियों के पक्षकारों पर तामील किया जाएगा ।

33. कानूनी प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से प्रतिनिर्देश. -

(1) अधिनियम की धारा 21 के अधीन राय के लिए किसी कानूनी प्राधिकरण से या अधिनियम की धारा 49 के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से प्राप्त प्रतिनिर्देश में ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(2) उपविनियम (1) पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना धारा 21 के अधीन किसी कानूनी प्राधिकरण के प्रतिनिर्देश में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगे :-

(क) प्रतिस्पर्धा से संबंधित विधि की ऐसी विनिर्दिष्ट प्रस्थापना या तथ्य या विनिर्दिष्ट मुद्दा या नीति या कोई अन्य विषय, जिस पर राय मांगी गई है ;

(ख) प्रस्थापना या मुद्दे या नीति या किसी अन्य विषय के अवधारण के लिए सुसंगत पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक आंकड़े ;

(ग) सुसंगत कानूनों, जिनके अंतर्गत आवश्यक समझे गए नियम, विनियम, अधिसूचनाएं, आदेश भी हैं, की सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित प्रतियां, यदि लागू हो ;

(घ) पक्षकारों की सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित और अद्यतन सूची, उनके पूर्ण पते, टेलीफोन नं., फैक्स नं., ई-मेल पते सहित, यदि लागू हो ;

(ङ) अधिनियम की धारा 21 के अधीन राय के लिए आयोग को निर्दिष्ट किए गए मामले के संबंध में संबंधित पक्षकारों को सूचना देने का सबूत, यदि लागू हो ।

(3) धारा 21 के अधीन ऐसे प्रतिनिर्देश पर राय देने के लिए समय सीमा विनियम 15 के उपविनियम (5) के परंतुक के अध्यधीन होगी ।

(4) यह समाधान हो जाने पर कि प्रतिनिर्देश पूर्ण है, सचिव किसी सामान्य बैठक के दौरान उसे आयोग के समक्ष रखेगा और ऐसे पक्षकारों के, जिन्हें बैठक की सूचना जारी की जानी है, संबंध में आवश्यक अनुदेश प्राप्त करेगा ।

(5) सचिव सामान्य बैठक के लिए उक्त पक्षकारों को, कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए, विनिर्दिष्ट रीति में, कम-से-कम सात दिन की सूचना देगा ।

(6) ऐसे पक्षकार, जिन्हें उपविनियम (5) के अधीन सूचनाएं जारी की गई हैं, सामान्य बैठक की तारीख से कम-से-कम सात दिन पूर्व प्रत्येक पक्षकार को सूचना पर अपनी टिप्पणियों या उत्तर की एक प्रति तामील करने के पश्चात् उन्हें फाइल कर सकेंगे, यदि लागू हो ।

(7) आयोग विचार-विमर्श के लिए अथवा साक्ष्य के लिए कानूनी प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी प्रतिनिधि या क्षेत्र के विशेषज्ञ को, जिसे वह मामले में आवश्यक समझे, बुला सकेगा ।

(8) आयोग, किसी व्यक्ति या उद्यम या केन्द्रीय या राज्य सरकार या कानूनी प्राधिकरण से ऐसी कोई विशिष्टियां और सूचनाएं एकत्रित कर सकेगा, जो उसकी राय में आयोग को प्राप्त प्रतिनिर्देश से सुसंगत हैं ।

(9) आयोग कोई राय बना सकेगा और उसे संबंधित पक्षकारों को भेज सकेगा तथा उसके द्वारा विनिश्चित समय के भीतर उन पर उनसे आक्षेप और/या सुझाव मांग सकेगा तथा ऐसे आक्षेप या सुझाव पर विचार करने के पश्चात् वह, यथास्थिति, कानूनी प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को अपनी अंतिम राय प्रदान करेगा ।

34. आयोग द्वारा राय के लिए कानूनी प्राधिकरण को प्रतिनिर्देश. -

(1) धारा 21क के अधीन आयोग द्वारा राय के लिए किसी कानूनी प्राधिकरण को किए गए प्रतिनिर्देश में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगे :-

(क) प्रतिस्पर्धा से संबंधित विधि की ऐसी विनिर्दिष्ट प्रस्थापना या तथ्य या विनिर्दिष्ट मुद्दा, जिस पर राय मांगी गई है ;

(ख) प्रस्थापना या मुद्दे के अवधारण के लिए सुसंगत पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक आंकड़े ;

(ग) अधिनियम, तदधीन विरचित सुसंगत नियमों और विनियमों, अधिसूचनाओं और आदेशों, यदि कोई आयोग द्वारा लंबित मामले में पारित किए गए हों, जैसा वह आवश्यक समझे, की सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित प्रतियां ;

(घ) पक्षकारों की सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित और अद्यतन सूची, उनके पूर्ण पते, टेलीफोन नं., फैक्स नं., ई-मेल पते सहित ;

(ङ) अधिनियम की धारा 21 के अधीन राय के लिए आयोग को निर्दिष्ट किए गए मामले के संबंध में संबंधित पक्षकारों को सूचना देने का सबूत ;

(च) सचिव यह प्रमाणित करेगा कि अग्रेषित किया जा रहा प्रतिनिर्देश ऊपर खंड (क) से (ङ) के अनुरूप है ।

(2) जहां कानूनी प्राधिकरण किए गए प्रतिनिर्देश में अतिरिक्त सूचना की मांग करता है, वहां, सचिव, यथाशक्य रूप से, संबंधित कानूनी प्राधिकरण से उसकी प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर संबंधित प्राधिकरण को ऐसी अतिरिक्त सूचना उपलब्ध कराएगा ।

(3) उस दशा में, जहां उपविनियम (1) या उपविनियम (2) के अधीन कोई प्रतिनिर्देश अग्रेषित करने के साठ दिन के भीतर कानूनी प्राधिकरण से कोई राय प्राप्त नहीं होती है, वहां सचिव अग्रिम आदेशों के लिए मामले को सामान्य बैठक के दौरान आयोग के समक्ष रखेगा ।

(4) कानूनी प्राधिकरण से अधिनियम की धारा 21क की उपधारा (2) के अधीन राय प्राप्त होने पर सचिव आदेशों के लिए उसको सामान्य बैठक के दौरान आयोग के समक्ष रखेगा ।

35. गोपनीयता. -

(1) आयोग उसे लिखित में अनुरोध किए जाने पर किसी सूचना की पहचान की गोपनीयता बनाए रखेगा ।

(2) कोई भी पक्षकार, यथास्थिति, आयोग या महानिदेशक को लिखित में यह अनुरोध प्रस्तुत कर सकेगा कि किसी दस्तावेज या दस्तावेजों या उनके किसी भाग अथवा भागों को गोपनीय माना जाए ।

(3) उपविनियम (2) के अधीन कोई अनुरोध केवल तभी किया जा सकेगा यदि दस्तावेज या दस्तावेजों या उनके किसी भाग या भागों को गोपनीय न रखने के परिणामस्वरूप व्यापार रहस्यों का प्रकटन या किसी सूचना के वाणिज्यिक मूल्य में सारवान कमी हो सकेगी या उससे युक्तियुक्त रूप से कोई गंभीर क्षति होने की आशंका है ।

(4) उपविनियम (2) के अधीन किए गए किसी अनुरोध के साथ एक ऐसा विवरण लगा होगा जिसमें ऐसे व्यवहार के लिए अकाट्य कारणों को अधिकथित किया जाएगा और उसमें संभव विस्तार तक की वह तारीख भी अंतर्विष्ट होगी जिसको ऐसा गोपनीय व्यवहार समाप्त हो जाएगा ।

(5) जहां ऐसा कोई दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज या उनका कोई भाग या उनके भाग किसी पक्षकार के लिखित प्रस्तुतीकरण का भाग हैं वहां वह पक्षकार उसके प्रथम पृष्ठ के ऊपरी भाग पर और ऊपरी भाग के निकट लाल स्याही में स्पष्ट और सुपठनीय रूप से क्रमशः "प्रकाशन के निर्बंधन का दावा" और प्रत्येक पृष्ठ पर 'गोपनीय' शब्दों को चिन्हांकित करते हुए एक पूर्ण पाठ फाइल करेगा, जिसके साथ उसका एक लोकपाठ भी फाइल किया जाएगा जिसमें ऐसा दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज या उनका भाग या उनके भाग सम्मिलित नहीं होंगे ।

(6) ऐसे लिखित प्रस्तुतीकरणों का लोकपाठ, उस गोपनीय पाठ की सही प्रति होगी, जिसमें उपविनियम (5) में यथाउपबंधित सुस्पष्ट रीति में उपदर्शित गोपनीय सूचना का लोप होगा ।

(7) ऐसे लिखित प्रस्तुतीकरणों का केवल लोकपाठ ही अन्य पक्षकारों पर तामील किया जाएगा ।

(8) उपविनियम (2) के अधीन कोई अनुरोध प्राप्त होने पर, यथास्थिति, आयोग या महानिदेशक, यदि उसका समाधान हो जाता है तो यह निदेश करेगा कि दस्तावेज या दस्तावेजों या उसके भाग या भागों को विनिर्दिष्ट की जाने वाली समयावधि के लिए गोपनीय रखा जाएगा ।

(9) यथास्थिति, आयोग या महानिदेशक गोपनीयता संबंधी विनिश्चय करने के लिए निम्नलिखित पर भी विचार कर सकेगा :-

(क) वह विस्तार, जिस तक वह सूचना बाहरी जनता को ज्ञात है ;

(ख) वह विस्तार, जिस तक ऐसी सूचना पक्षकार के कारबार के कर्मचारियों, प्रदायकर्ताओं वितरकों और उसमें अंतर्वलित अन्य व्यक्तियों को ज्ञात है ;

(ग) पक्षकार द्वारा सूचना की गोपनीयता की सुरक्षा के लिए किए गए उपाय ;

(घ) ऐसी सुगमता या कठिनाई, जिसके द्वारा वह सूचना अन्य व्यक्तियों द्वारा अर्जित या प्राप्त की जा सकती है ।

(10) उस दशा में, जहां महानिदेशक ने उपविनियम (2) के अधीन पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोध को नामंजूर कर दिया है, वहां वह पक्षकार गोपनीय व्यवहार के संबंध में विनिश्चय के लिए आयोग से संपर्क कर सकेगा ।

(11) जहां महानिदेशक या आयोग ने किसी दस्तावेज या दस्तावेजों या उसके किसी भाग या भागों के गोपनीय व्यवहार संबंधी अनुरोध को नामंजूर कर दिया है और पक्षकार को अपने आशय की सूचना दे

दी है, वहां ऐसा दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज या उसका भाग या उसके भाग को उपविनियम (13) के अध्यधीन रहते हुए गोपनीय नहीं माना जाएगा ।

(12) यदि कोई पक्षकार, आयोग अथवा महानिदेशक द्वारा यह निर्णय करने के बावजूद भी कि गोपनीय व्यवहार अपेक्षित नहीं है, दस्तावेज या दस्तावेजों या उसके भाग या भागों को प्रकट करने का इच्छुक नहीं है तो इसके विपरित ऐसे किन्हीं आदेशों के, जिन्हें आयोग अधिनियम की धारा 57 के अधीन पारित करे, अधीन रहते हुए ऐसे दस्तावेज या दस्तावेजों या उसके भाग या भागों को पक्षकार को लौटा दिया जाएगा और उनमें अंतर्विष्ट सूचना पर ध्यान नहीं दिया जाएगा ।

(13) ऐसा दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज या उसका भाग या उसके भाग को, जिसे गोपनीय व्यवहार मंजूर किया गया है, लोक अभिलेख से पृथक किया जाएगा और उसे एक मूहरबंद लिफाफे या अन्य उपयुक्त आधान में सुरक्षित रखा जाएगा जिस पर कार्यवाहियों का शीर्षक, डाकेट संख्या, "विनियम 35 के अधीन गोपनीय अभिलेख" टिप्पणी और वह तारीख लिखी जाएगी, जिसको गोपनीय व्यवहार की अवधि समाप्त हो जाएगी ।

(14) यदि आयोग किसी ऐसे आदेश या निर्णय या राय या सूचना में ऐसा कोई भाग सम्मिलित करता है जिसे इस विनियम के अधीन गोपनीय व्यवहार मंजूर किया गया है, तो आयोग आदेश या निर्णय या राय के दो पाठ फाइल करेगा । लोक पाठ में गोपनीय सूचना का लोप किया जाएगा, जो पूर्ण पाठ में विद्यमान होगी और जिसके प्रथम पृष्ठ पर "विनियम 35 के अधीन गोपनीय अपेक्षाओं के अध्यधीन" चिन्हांकित होगा और ऐसे लोक पाठ की पक्षकारों को तामील की जाएगी और उसे कार्यवाही के लोक अभिलेख में सम्मिलित किया जाएगा । पूर्ण पाठ को उपविनियम (13) में उपबंधित किए गए अनुसार कार्यवाहियों के गोपनीय अभिलेख में रखा जाएगा ।

(15) कोई व्यक्ति या पक्षकार, जिसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन आयोग द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी या कर्मचारी और अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन आयोग द्वारा नियोजित कोई विशेषज्ञ या वृत्तिक या अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (3) के अधीन आयोग की सहायता के लिए बुलाया गया कोई विशेषज्ञ भी है, ऐसे दस्तावेज या दस्तावेजों या उसके भाग या उसके भागों की, जिसे इस विनियम के अधीन गोपनीय व्यवहार मंजूर किया गया है, अंतर्वस्तु की गोपनीयता बनाए रखेगा और इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के प्रयोजन से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए ऐसी गोपनीय सूचना का उपयोग या प्रकटन या उसके संबध में व्यौहार नहीं करेगा :

परंतु यह कि अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन आयोग द्वारा नियोजित किसी विशेषज्ञ या वृत्तिक द्वारा गोपनीयता के उल्लंघन को, यथास्थिति, सुसंगत नियमों या विनियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए आधार माना जाएगा :

परंतु यह और कि यदि अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन आयोग द्वारा नियोजित किसी विशेषज्ञ या वृत्तिक या अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (3) के अधीन आयोग की सहायता के लिए बुलाए गए किसी विशेषज्ञ द्वारा गोपनीयता का उल्लंघन किया जाता है तो वह, यथास्थिति, ऐसे नियोजन या संविदा को समाप्त करने के लिए पर्याप्त आधार होगा ।

36. आयोग के आदेशों का अनुपालन. -

आयोग के पास संबंधित पक्षकारों को यह निदेश देने की शक्ति होगी कि वे उसके आदेश के अनुपालन या आदेश में विनिर्दिष्ट रीति में ऐसे अन्य दस्तावेजों के अनुपालन के संबंध में शपथपत्र फाइल करें ।

37. दस्तावेजों का निरीक्षण और उनकी प्रमाणित प्रतियां. -

(1) विनियम 35 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयोग की किसी सामान्य बैठक में कार्यवाहियों के किसी पक्षकार को, उसके द्वारा इस निमित्त सचिव को संबोधित लिखित में आवेदन किए जाने पर, विनियम 51 में यथाविनिर्दिष्ट फीस का संदाय किए जाने पर कार्यवाहियों के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों या अभिलेखों का निरीक्षण करने या उनकी प्रतियां अभिप्राप्त करने की अनुज्ञा दी जा सकेगी ।

(2) आयोग ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा, जो कार्यवाहियों का पक्षकार नहीं है और उसके द्वारा पर्याप्त कारण उपदर्शित किए जाने पर, ऐसे व्यक्ति को विनियम 51 में यथाविनिर्दिष्ट फीस का संदाय किए जाने पर उपविनियम (1) में यथाउल्लिखित दस्तावेजों या अभिलेखों का निरीक्षण करने या उनकी प्रतियां अभिप्राप्त करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

(3) निरीक्षण की अनुज्ञा केवल सचिव द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किसी अधिकारी की उपस्थिति में ही दी जाएगी :

परंतु यह कि उपविनियम (1) या उपविनियम (2) के अनुसार दस्तावेजों का निरीक्षण या उनकी प्रतियां प्राप्त करने की अनुज्ञा सचिव या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट समय सीमाओं और उसके अधीक्षण के अधीन रहते हुए दी जाएगी ।

(4) केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या महानिदेशक या कानूनी प्राधिकरण को, उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए सचिव को लिखित अनुरोध किए जाने पर उपविनियम (1) में उल्लिखित दस्तावेजों या अभिलेखों का निरीक्षण करने और उनकी प्रतियां प्राप्त करने की अनुज्ञा दी जाएगी ।

38. आयोग की सामान्य बैठकों में भाग लेने के लिए वेश-भूषा. -

(1) आयोग के सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी तथा महानिदेशक, कार्यवाहियों के पक्षकार और उनके काउंसेल राष्ट्रीय वेश-भूषा या लाउंज सूट या टाई के साथ जैकेट में आयोग की साधारण बैठकों में भाग लेंगे । महिलाएं साड़ी या सलवार कमीज के ऊपर जैकेट पहन सकेंगी ।

(2) जहां कोई काउंसेल किसी ऐसी वृत्ति से संबंध रखता है, जिसमें किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी प्राधिकरण के समक्ष उपसंजात होने के लिए वेश-भूषा विहित की गई है, वहां वह उस वेश-भूषा में उपसंजात हो सकेगा और आयोग की सामान्य बैठकों में भाग ले सकेगा ।

39. किसी पक्षकार की मृत्यु या उसे दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत किए जाने के पश्चात् कार्यवाहियों का जारी रहना. -

जहां किसी कार्यवाही के पक्षकार की आयोग की सामान्य बैठक में मृत्यु हो जाती है या उसे दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है या किसी कंपनी की दशा में, उसका समापन किया जा रहा है तो वहां कार्यवाहियों का उपशमन नहीं होगा और उन्हें, यथास्थिति, पक्षकारों के निष्पादक, प्रशासक या अन्य विधिक प्रतिनिधियों के द्वारा या विरूद्ध या समनुदेशितियों, रिसिवर या परिसमापक द्वारा या विरूद्ध जारी रखा जा सकेगा ।

40. अननुपालन का प्रभाव. -

इन विनियमों की किन्हीं अपेक्षाओं के अनुपालन में असफलता किसी कार्यवाही को, केवल ऐसी असफलता के कारण से अविधिमान्य नहीं बनाएगी, जब तक कि आयोग का यह विचार न हो कि ऐसी असफलता के परिणामस्वरूप न्याय का अतिक्रमण हुआ है ।

41. साक्ष्य लेना. -

(1) अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, आयोग या महानिदेशक ऐसी रीति को अवधारित कर सकेगा जिसमें उसके समक्ष विद्यमान कार्यवाहियों में साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

(2) उपविनियम (1) पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आयोग या महानिदेशक, यथास्थिति, जांच या अन्वेषण के प्रयोजन के लिए :-

(क) सत्यापित किए जाने योग्य टेप रिकार्डिंगों की प्रतिकृतियों, वीडियो रिकार्डिंगों के असंपादित पाठों, इलैक्ट्रानिक मेल, टेलीफोन अभिलेखों, जिनके अंतर्गत अधिप्रमाणित मोबाईल टेलीफोन रिकार्ड भी हैं लिखित, हस्ताक्षरित अशपथपूर्वक दिए गए व्यष्टिक बयानों या लिखित प्रश्नोत्तरों या साक्षात्कारों के हस्ताक्षरित प्रत्युत्तरों या बाजार सर्वेक्षणों अथवा आर्थिक अध्ययनों के आधार पर विशेषज्ञों की टिप्पणियों या रायों या विश्लेषणों या अन्य प्राधिकृत पाठों के रूप में या अन्यथा को सारवान साक्ष्य के रूप में ग्रहण कर सकेगा ;

(ख) किसी प्रमाणपत्र, प्रमाणित प्रति या अन्य दस्तावेज के रूप में तात्पर्यित प्रत्येक ऐसे दस्तावेज को जिसे विधि द्वारा ग्रहण योग्य घोषित किया गया है, किसी विशिष्ट तथ्य के साक्ष्य के रूप में वास्तविक मानते हुए अभिलेख पर ग्रहण कर सकेगा, परंतु यह कि वह, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कानूनी प्राधिकरण के किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी मजिस्ट्रेट या नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) के अधीन नियुक्त किसी नोटरी या आयोग के सचिव द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित हो ;

(ग) लेखा बहियों में, जिनके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक रूप में रखी गई ऐसी लेखा बहियां भी हैं जिन्हें कारबार के अनुक्रम में नियमित रूप से रखा जाता है और इसमें किसी ऐसी लोक या अन्य

शासकीय बही, रजिस्टर या अभिलेख या इलैक्ट्रानिक अभिलेख भी सम्मिलित है, जिसे किसी लोक सेवक द्वारा उसके शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में रखा गया है या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देश की विधि द्वारा विशेष रूप से उसे सौंपे गए कर्तव्य के निष्पादन के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रखा गया है, जिसमें किसी बही, रजिस्टर, अभिलेख या इलैक्ट्रानिक अभिलेख को रखा जाता है, की गई प्रविष्टियों को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ग्रहण कर सकेगा ;

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति की राय को, दस्तावेज लिखने या हस्ताक्षरित करने वाले व्यक्ति की लिखावट को साबित करने के लिए एक सुसंगत तथ्य के रूप में ग्रहण कर सकेगा, जो उस व्यक्ति की लिखावट से भली भांति परिचित है, जिसके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज लिखा या हस्ताक्षरित किया गया है ;

(ङ) लिखावट के विशेषज्ञों या उंगलियों के निशानों की पहचान करने वाले विशेषज्ञों या विदेशी विधि या किसी विज्ञान या कला के निर्वचन में विशेष रूप से दक्ष व्यक्तियों के राय को ग्रहण कर सकेगा ;

(च) ऐसे तथ्यों को सूचना में लेगा, जिनकी सूचना भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 57 के अधीन किसी विधि के न्यायालय द्वारा ली जा सकती है ;

(छ) ऐसे तथ्यों को स्वीकार कर सकेगा, जिन्हें कार्यवाहियों के पक्षकार प्रस्तुत या लिखित में स्वीकार करते हैं और जिन्हें साबित किया गया है ;

(ज) यह मान लेगा कि भारत का भाग न बनने वाले किसी देश के किसी प्राधिकरण, न्यायालय या सरकार के किसी अभिलेख की प्रमाणित प्रति के रूप में तात्पर्यित कोई दस्तावेज वास्तविक और सही है, यदि ऐसा दस्तावेज ऐसे देश की राष्ट्रीय सरकार के प्रतिनिधि द्वारा किसी ऐसी रीति में प्रमाणित किया जाना तात्पर्यित है, जो उस देश में ऐसे अभिलेखों की प्रतियों के प्रमाणन के लिए सामान्यतः उपयोग की जाती है, इसके अंतर्गत भारत में उस देश के दूतावास या उच्चायोग द्वारा किया गया प्रमाणन भी है ।

(झ) ऐसे दस्तावेजों को, जिनके अंतर्गत कार्यवाहियों के लिए सुसंगत और सारवान माने गए साक्ष्य रूप में इलैक्ट्रानिक अभिलेख भी हैं, ग्रहण कर सकेगा ।

(3) उपविनियम (2) के अधीन रहते हुए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की निम्नलिखित धाराएं, जहां तक वे यथाशक्य रूप से निम्नलिखित मामलों से सबंधित हैं, यथास्थिति, आयोग या महानिदेशक द्वारा जांच या अन्वेषण के प्रयोजन के लिए उसी प्रकार लागू हो सकेंगी :-

(क) धारा 22-क - जब किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख की अंतर्वस्तु के संबंध में मौखिक प्रस्तुतीकरण सुसंगत हो ;

(ख) धारा 47-क - अंकीय हस्ताक्षर के संबंध में राय, जब सुसंगत हो ;

(ग) धारा 65-ख - इलैक्ट्रानिक अभिलेखों की ग्राह्यता ;

(घ) धारा 67-क - अंकीय हस्ताक्षर के संबंध में सबूत ;

(ङ) धारा 73-क - अंकीय हस्ताक्षर के सत्यापन के संबंध में सबूत ;

(च) धारा 81-क - इलैक्ट्रानिक रूप में राजपत्रों के संबंध में माना जाना ;

(छ) धारा 85-क - इलैक्ट्रानिक करारों के संबंध में माना जाना ;

(ज) धारा 85-ख - इलैक्ट्रानिक अभिलेख और इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षरों के संबंध में माना जाना ;

(झ) धारा 85-ग - अंकीय हस्ताक्षर प्रमाणपत्रों के संबंध में माना जाना ;

(ञ) धारा 88-क- इलैक्ट्रोनिक संदेशों के संबंध में माना जाना ;

(ट) धारा 89 - प्रस्तुत न किए गए दस्तावेजों के सम्यक् निष्पादन के संबंध में माना जाना ;

(ठ) धारा 90-क - पांच वर्ष पुराने इलैक्ट्रानिक अभिलेखों के संबंध में माना जाना ।

(4) यथास्थिति, आयोग या महानिदेशक पक्षकारों को शपथपत्रों के माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत करने या मामले में मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कह सकेगा ।

(5) यदि, यथास्थिति, आयोग या महानिदेशक किसी पक्षकार को मौखिक प्रस्तुतीकरण द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने का निदेश देता है तो, यथास्थिति, आयोग या महानिदेशक, यदि वह ऐसा आवश्यक अथवा समीचीन मानता है तो, यथास्थिति, अन्य पक्षकार या पक्षकारों को साक्ष्य देने वाले व्यक्ति की प्रति-परीक्षा करने का अवसर प्रदान कर सकेगा ।

(6) यथास्थिति, आयोग या महानिदेशक, यदि वह ऐसा आवश्यक अथवा समीचीन मानता है तो वह यह निदेश दे सकेगा कि किसी पक्षकार के साक्ष्य को उक्त प्रयोजन के लिए अभिहित अधिकारी या व्यक्ति द्वारा लेखबद्ध किया जाए ।

(7) आयोग पक्षकारों को मामले में बहस या प्रस्तुतीकरणों का लिखित टिप्पण फाइल करने का निदेश दे सकेगा ।

42. शपथपत्र फाइल करके तथ्यों का समर्थन करना. -

(1) यथास्थिति, आयोग या महानिदेशक, किसी भी समय पर्याप्त कारणों से यह आदेश कर सकेगा कि किसी विशिष्ट तथ्य या तथ्यों का शपथपत्र द्वारा समर्थन किया जाए ।

(2) प्रत्येक शपथपत्र को ए4 आकार (210x 297 मिमी या 8.27"x 11.69") के सफेद बांड पृष्ठ पर एरियल 12 के फोंट में डबल स्पेस और बाईं ओर दो इंच का और अन्य सभी ओर से एक इंच का मार्जिन छोड़ते हुए केवल एक ओर टंकित किया जाएगा ।

(3) प्रत्येक शपथपत्र में ऐसे हेतुक या मामले का स्पष्ट कथन होगा जिसमें ऐसी शपथ ली गई है ।

(4) प्रत्येक शपथपत्र को प्रथम व्यक्ति में लिखा जाएगा और यह पैराओं में विभाजित होगा जिन्हें क्रमवार संख्यांकित किया जाएगा और इसमें अभिसाक्षी का वर्णन, उसके व्यवसाय और निवास के सही स्थान का कथन होगा ।

(5) आयोग के समक्ष किसी हेतुक या मामले के प्रयोजनों के लिए शपथपत्रों को किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट या नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) के अधीन नियुक्त किसी नोटरी या किसी ऐसे अन्य अधिकारी या व्यक्ति, जिसे उच्च न्यायालय इस निमित्त नियुक्त करे, या किसी ऐसे अन्य अधिकारी जिसे किसी अन्य न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया हो और जिसे किसी राज्य सरकार द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 15) की धारा 139 में उल्लिखित प्राधिकार द्वारा साधारणतः या विशेष रूप से इस निमित्त सशक्त किया गया हो, के समक्ष तैयार किया जा सकेगा ।

(6) किसी शपथपत्र से संलग्न प्रत्येक प्रदर्श पर उसका शीर्षक और हेतुक या मामले का संख्यांक चिन्हित किया जाएगा और उस पर उस प्राधिकारी के, जिसके समक्ष इसे तैयार किया गया है, संक्षिप्त हस्ताक्षर होंगे और उसके द्वारा तारीख डाली जाएगी ।

(7) यथास्थिति, आयोग या महानिदेशक के समक्ष तब तक ऐसा कोई शपथपत्र फाइल नहीं किया जाएगा जिसमें कोई अंतरापंक्तियां, परिवर्तन हों या कुछ मिटाया गया हो, जब तक कि ऐसी अंतरापंक्तियों या परिवर्तनों पर संक्षिप्त हस्ताक्षर न किए गए हों या मिटाए जाने की दशा में जब तक मिटाए गए स्थान पर लिखे गए शब्दों या अंकों को मार्जिन के स्थान पर पुनः न लिखा गया हो और ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसके समक्ष इसे तैयार किया गया है, संक्षिप्त हस्ताक्षर न किए गए हों ।

(8) यथास्थिति, आयोग या महानिदेशक वहां ऐसे किसी शपथपत्र को प्राप्त करने से इंकार कर सकेगा जहां उसकी राय में अंतरापंक्तियां, परिवर्तन या मिटाई गई अंतर्वस्तु इतनी अधिक हैं कि शपथपत्र को पुनः लिखना समीचीन हो गया है ।

(9) जहां शपथपत्र फाइल करने के लिए कोई विनिर्दिष्ट समय दिया गया है वहां ऐसे समय के पश्चात् कोई शपथपत्र फाइल नहीं किया जाएगा, सिवाय यथास्थिति, आयोग या महानिदेशक की अनुमति से ।

(10) इन विनियमों में, किसी "शपथपत्र" में ऐसा कोई दस्तावेज सम्मिलित है जिस पर शपथ लेना, प्रतिज्ञान करना या जिसे सत्यापित करना अपेक्षित है । याचिकाओं और अन्य कार्यवाहियों के सत्यापन में, व्यक्तिगत जानकारी पर आधारित कथनों को जानकारी और विश्वास पर आधारत कथनों से सुभिन्न किया जाएगा ।

(11) आयोग या महानिदेशक, कार्यवाहियों के अनुक्रम के दौरान, जहां कही न्याय के हित में आवश्यक और समीचीन समझा जाए, इस विनियम के किसी या सभी उपरोक्त उपबंधों को शिथिल कर सकेगा ।

43. आयोग के समक्ष अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करना. -

(1) कार्यवाहियों के पक्षकारों को आयोग के समक्ष ऐसा कोई अतिरिक्त साक्ष्य, चाहे वह मौखिक हो या दस्तावेजी, प्रस्तुत करने का हक नहीं होगा, जो उनके कब्जे अथवा जानकारी में था किन्तु अधिनियम की धारा 26 या धारा 29 की उपधारा (1क) के अधीन अन्वेषण के दौरान महानिदेशक

के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था, किन्तु यदि आयोग किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने या किसी साक्षी की परीक्षा करने या किसी शपथपत्र को फाइल करने की अपेक्षा करता है ताकि वह आदेश पारित करने में समर्थ हो सके या फिर किसी सारवान कारण से या यदि महानिदेशक ने पक्षकार को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया है तो आयोग, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसे दस्तावेज को प्रस्तुत करने या साक्षी की परीक्षा करने या शपथपत्र फाइल करने की अनुज्ञा दे सकेगा या ऐसे साक्ष्य को प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकेगा ।

(2) ऐसे किसी दस्तावेज को या ऐसे किसी साक्षी की या ऐसे किसी साक्ष्य को आयोग के समक्ष या आयोग द्वारा निदिष्ट किसी ऐसे प्राधिकारी के समक्ष, क्रमशः प्रस्तुत किया जा सकेगा, परीक्षा की जा सकेगी या प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

(3) यदि यह निदेश दिया जाता है कि किसी प्राधिकारी के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए या साक्षी की परीक्षा की जाए या साक्ष्य प्रस्तुत किया जाए तो वह आयोग के निदेश का अनुपालन करेगा और अनुपालन के पश्चात् दस्तावेज, साक्षी के बयान का अभिलेख या प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के अभिलेख को आयोग को भेजेगा ।

(4) अतिरिक्त साक्ष्य/दस्तावेज को आयोग द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले पक्षकार से भिन्न कार्यवाहियों के अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराया जाएगा और उन्हें उक्त अतिरिक्त साक्ष्य की अंतर्वस्तु को मिथ्या साबित करने के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा ।

44. आयोग की कोई सूचना आदि मंगाने की शक्ति. -

(1) आयोग, किसी कार्यवाही में आदेश पारित करने से पूर्व किसी भी समय, किसी भी पक्षकार या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति से जिसे आयोग उपयुक्त समझता है, ऐसे दस्तावेज या अन्य सारवान वस्तुएं, साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा, जिन्हें आयोग उसे आदेश पारित करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझता है।

(2) यथास्थिति, आयोग या महानिदेशक, साक्षियों को समन करने, साक्ष्य में प्रस्तुत करने योग्य किसी दस्तावेज या अन्य सारवान वस्तुओं को ढूंढने और प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा, किसी कार्यालय से लोक अभिलेख की अध्यपेक्षा कर सकेगा, आयोग के किसी अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति की अभिरक्षा या नियंत्रण में विद्यमान ऐसी किन्ही बहियों, लेखाओं या अन्य दस्तावेजों या सूचना, जिसे आयोग इस प्रयोजन के लिए सुसंगत समझता है, की परीक्षा करने का निदेश दे सकेगा ।

(3) यथास्थिति, आयोग या महानिदेशक, किसी भी समय किसी व्यक्ति को समन कर सकेगा और उसकी उपस्थिति को बलपूर्वक संभव बना सकेगा और उसकी परीक्षा ले सकेगा या उसकी शपथ पर परीक्षा करा सकेगा ।

45. साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए आयोग या महानिदेशक की कमीशन जारी करने की शक्ति. -

(1) अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (2) के खंड (घ) और धारा 41 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयोग या महानिदेशक, यथास्थिति, स्वप्रेरणा से या आयोग अथवा महानिदेशक के समक्ष कार्यवाहियों के किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर ऐसे विनिर्दिष्ट साक्षी (साक्षियों) की प्रश्नोत्तरों या अन्यथा पर परीक्षा करने के लिए कमीशन जारी कर सकेगा :-

(क) जो भारत मे निवास कर रहा है ;

(ख) जो उस तारीख, जिसको उससे एक साक्षी के रूप में परीक्षा देना अपेक्षित है, से पूर्व भारत छोड़ने वाला है ;

(ग) जो, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी कानूनी प्राधिकरण की सेवा में होने के कारण, यथास्थिति, आयोग या महानिदेशक की राय में लोक सेवा को बाधित किए बिना कार्यवाही में उपसंजात नहीं हो सकता ;

(घ) जो बीमारी या निःशक्तता के कारण उपसंजात होने में असमर्थ है ;

(ङ) जो ऐसे स्थान पर निवास करता है जो, यथास्थिति, आयोग या महानिदेशक के कार्यालय से पांच सौ किलोमीटर से अधिक दूर स्थित है और यथास्थिति, आयोग या महानिदेशक की राय में जिसकी उपस्थिति को विहित समय के भीतर अनावश्यक व्यय उपगत किए बिना सुनिश्चित नहीं किया जा सकता ;

(च) जो खंड (क) से खंड (ङ) में उल्लिखित किसी भी परिस्थिति के अंतर्गत नहीं आता है, यदि उसके साक्ष्य को न्याय के हित में आवश्यक समझा जाता है ।

(2) उपविनियम (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, आयोग या महानिदेशक, या तो स्वप्रेरणा से या आयोग अथवा महानिदेशक के समक्ष कार्यवाहियों के किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर, भारत के भीतर किसी स्थान पर निवास न करने वाले साक्षी की प्रश्नोत्तरों पर या अन्यथा परीक्षा करने के लिए भी कमीशन जारी कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसे साक्षी का साक्ष्य आवश्यक है और वह इस विनियम के अधीन कमीशन के निष्पादन को सुकर बनाने के लिए भारतीय उच्चायोग या भारतीय दूतावास को अनुरोध पत्र जारी कर सकेगा ।

(3) उपविनियम (1) और उपविनियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, आयोग या महानिदेशक, या तो स्वप्रेरणा से या आयोग अथवा महानिदेशक के समक्ष कार्यवाहियों के किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर, किसी विनिर्दिष्ट दस्तावेज, दस्तावेजों की, चाहे वे भारत में या भारत से बाहर स्थित किसी स्थान पर उपलब्ध हों और चाहे वह ऊपर उपविनियम (1) और उपविनियम (2) के अनुसार प्रश्नोत्तरों पर परीक्षित किए जाने वाले किसी साक्षी की अभिरक्षा में हों अथवा नहीं, परीक्षा के लिए भी कमीशन जारी कर सकेगा ।

(4) उपविनियम (1), (2) या (3) के अधीन, किसी साक्षी की किन्हीं प्रश्नोत्तरों या अन्यथा परीक्षा करने या किन्हीं दस्तावेजों की परीक्षा के लिए जारी कमीशन में भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत किसी लोक सेवक या किसी काउंसेल को सम्मिलित किया जा सकेगा और यथास्थिति, ऐसे किसी लोक सेवक या कांउसेल को इस आयोग के निष्पादन के प्रयोजनों के लिए ही "कमीशनर" के रूप में नियुक्त किया जाएगा ।

(5) उपविनियम (4) में निर्दिष्ट प्रत्येक लोक सेवक या कांउसेल, उपविनियम (4) के अधीन कमीशन प्राप्त होने पर, यथास्थिति, साक्षी या दस्तावेज की परीक्षा करेगा या उनके अनुसार साक्षी या दस्तावेज की परीक्षा कराएगा और सम्यक् निष्पादन हो जाने पर, उसके अधीन दिए गए साक्ष्य के साथ कमीशन को यथास्थिति, आयोग या महानिदेशक को वापस करेगा ।

(6) यथास्थिति, आयोग या महानिदेशक, उपविनियम (4) के अधीन नियुक्त कमीशनर को कार्यवाहियों के अभिलेख का ऐसा भाग और ऐसे अनुदेश देगा, जो आवश्यक प्रतीत हों और अनुदेशों में स्पष्ट रूप से यह विनिर्दिष्ट किया जाएगा कि कमीशन निदेश दिए गए अनुसार परीक्षा के माध्यम से तथ्यों का पता लगाने तक निर्बंधित है और कमीशनर से मात्र यह अपेक्षा की जाती है कि वह परीक्षा के पूरा हो जाने पर आयोग को कार्यवाहियों के अभिलेख संप्रेषित करे ।

(7) इन विनियमो के अधीन नियुक्त कोई कमीशनर, जब तक कि नियुक्ति आदेश में अन्यथा निदिष्ट न हो -

(क) साक्षी की स्वयं परीक्षा करेगा ;

(ख) दस्तावेजों और जांच के विषय से सुसंगत अन्य वस्तुओं की मांग करेगा और परीक्षा करेगा ।

(8) इस विनियम के अधीन कमीशन जारी करने वाला, यथास्थिति, आयोग या महानिदेशक ऐसी तारीख नियत करेगा, जिसको या जिससे पूर्व निष्पादन के पश्चात् कमीशन लौटाया जाएगा और इस प्रकार नियत की गई तारीख को विस्तारित नहीं किया जाएगा, सिवाय यदि लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, यथास्थिति, आयोग या महानिदेशक का यह समाधान हो जाता है कि तारीख को विस्तारित करने के लिए पर्याप्त कारण विद्यमान हैं ।

46. किसी प्रतिनिधि को उपसंजात होने के लिए प्राधिकृत करना. -

(1) अधिनियम की धारा 35 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी ऐसी कार्यवाही में, जहां अभिवाकों को किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा भी हस्ताक्षरित किया गया है, वहां पक्षकार प्रतिनिधि को उसके लिए उपसंजात होने के लिए प्राधिकृत करते हुए विनिर्दिष्ट रीति में मुख्तारनामा या वकालतनामा संलग्न करेगा ।

(2) प्राधिकृत प्रतिनिधि को तब तक पक्षकार का प्रतिनिधित्व करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जब तक कि ऐसा मुख्तारनामा या वकालतनामा सामान्य बैठक के प्रारंभ होने से पूर्व सचिव को फाइल नहीं कर दिया जाता है ।

(3) आयोग के समक्ष कार्यवाहियों के जारी रहने के दौरान किसी पक्षकार के लिए और उसकी ओर से उपसंजात होने वाले किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किसी दुर्व्यवहार की अनुमति नहीं दी जाएगी और

आयोग उपयुक्त परिस्थितियों में, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से दुर्व्यवहार के दोषी व्यक्ति को आयोग के समक्ष कार्यवाहियों में भविष्य में या ऐसे समय तक, जिसे आयोग आवश्यक समझे, उपसंजात होने से विवर्जित करने वाले आवश्यक आदेश पारित कर सकेगा ।

(4) किसी काउंसेल द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने की दशा में, सचिव, यदि उसे आयोग द्वारा ऐसा निदेश दिया जाए, इस प्रभाव की एक लिखित शिकायत उस राज्य विधिज्ञ परिषद् को अग्रेषित करेगा, जिसका विधि व्यवसायी सदस्य है या ऐसी लिखित शिकायत यथास्थिति, भारतीय चार्टर्ड अकाउन्टेंट संस्थान या भारतीय कंपनी सचिव संस्थान या भारतीय लागत और संकर्म लेखा संस्थान को अग्रेषित की जा सकेगी ।

स्पष्टीकरण - इस विनियम के प्रयोजन के लिए, "दुर्व्यवहार" पद में किसी कार्यवाही की सम्यक् प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डालना या उसमें बाधा डालना या बाधा डालने का प्रयास करना या आयोग के किसी आदेश या निदेश के अनुपालन या निष्पादन को बाधित करना या बाधित करने का प्रयास करना या किसी भी रीति में अपमानजनक भाषा का उपयोग करना या अवज्ञापूर्वक व्यवहार करना या आयोग के किसी सदस्य या अधिकारी की प्रतिष्ठा पर किसी भी रीति में प्रहार करना सम्मिलित होंगे ।

47. आयोग के समक्ष कार्यवाहियों तक जनता की पहुंच न होना. -

सिवाय वहां के, जहां आयोग लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसा निदेश करे, किसी सामान्य बैठकें के दौरान आयोग के समक्ष कार्यवाहियों तक जनता की पहुंच नहीं होगी । कार्यवाहियों तक जनता की पहुंच बनाने संबंधी विनिश्चय करते समय, आयोग निम्नलिखित सभी या किसी विषय को ध्यान में रखेगा:-

(क) क्या लोक प्रकटन के कारण किसी पक्षकार को कोई सारवान क्षति तो नहीं पहुंचती है ;

(ख) जनता को जानकारी उपलब्ध कराने में निषेध या प्रोत्साहन की डिग्री ;

(ग) कार्यवाहियों का दक्ष और उचित संचालन;

(घ) आयोग के संसाधन ।

48. अधिनियम के अधीन शास्ति के अधिरोपण के लिए प्रक्रिया. -

(1) अधिनियम के अधीन विरचित किसी नियम या विनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, अधिनियम के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश या निदेश तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि आयोग की सामान्य बैठक के दौरान किसी व्यक्ति या उद्यम या कार्यवाही के पक्षकार को कारण बताओ सूचना न दी गई हो और आयोग के समक्ष उसे उसका मामला प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न किया गया हो ।

(2) उस दशा में, जहां आयोग उपविनियम (1) के अधीन, यथास्थिति, किसी व्यक्ति या उद्यम या कार्यवाहियों के किसी पक्षकार को कारण बताओ सूचना जारी करने का विनिश्चय करता है, वहां सचिव उसे कम-से-कम पंद्रह दिन का समय देते हुए एक कारण बताओ सूचना जारी करेगा जिसमें उससे, सूचना में विहित अवधि के भीतर लिखित में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा ।

(3) आयोग, स्पष्टीकरण की प्राप्ति पर और मौखिक सुनवाई, यदि मंजूर की जाती है, के पश्चात् मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर शास्ति अधिरोपित करने के मामे का विनिश्चय करने के लिए कार्यवाही करेगा ।

49. अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन फीस. -

(1) अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन या अन्यथा प्राप्त प्रत्येक सूचना के साथ 50,000 रुपए की फीस के संदाय का सबूत संलग्न होगा ।

(2) इस फीस को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा वार्षिक लागत महंगाई सूचकांक के आधार पर आयोग के आदेश द्वारा बढ़ाया या कम किया जा सकेगा ।

(3) इस फीस का संदाय मांगदेय ड्राफ्ट या देय आदेश या भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रतिस्पर्धा निधि), नई दिल्ली के पक्ष में बैकर्स चेक द्वारा या भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रतिस्पर्धा निधि) के "भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 स्थित पंजाब नेशनल बैंक" में खाता सं. 1988002100187 6 में इलैक्ट्रानिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) द्वारा सीधे जमा कराके किया जा सकेगा ।

50. निरीक्षण और प्रतिलिपि प्रभार. -

(1) कार्यवाहियों के किसी पक्षकार को, आवेदन किए जाने पर और सचिव द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली शर्तों पर और एक हजार रुपए प्रति दिवस प्रति मामले की फीस का संदाय करने पर, उसके मामलों से संबंधित अभिलेखों का निरीक्षण करने की अनुज्ञा दी जा सकेगी ।

(2) कार्यवाहियों के पक्षकारों के लिए प्रतियां प्राप्त करने संबंधी प्रभार 50 रुपए प्रति पृष्ठ होगा ।

51. आयोग द्वारा विशेष काउंसेलों को पैनलबद्ध करना. -

(1) आयोग, प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण या किसी अन्य अर्द्ध-न्यायिक निकाय या न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों के संचालन में उसकी सहायता करने के लिए विधि व्यवसायियों, चार्टर्ड अकाउन्टेंटों या कंपनी सचिवों या लागत लेखाकारों का एक पैनल तैयार कर सकेगा ।

(2) महानिदेशक, यदि ऐसा अपेक्षित हो तो, पैनल से विधि व्यवसायियों, चार्टर्ड अकाउन्टेंटों या कंपनी सचिवों या लागत लेखाकारों को आयोग के समक्ष कार्यवाहियों में सहायता के लिए बुला सकेगा ।

(3) किसी काउंसेल को अनुज्ञात संदेय पारिश्रमिक और अनुज्ञेय अन्य भत्ते तथा प्रतिकर, आयोग के परामर्श से विनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।

52. आयोग की सहायता के लिए विख्यात विशेषज्ञों को आमंत्रित करना. -

अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (3) या तद्धीन जारी दिशानिर्देशों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयोग विख्यात विशेषज्ञों को, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर तथा ऐसे समयों पर, जिसका विनिश्चय आयोग द्वारा किया जाए, अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए आमंत्रित कर सकेगा :

परंतु यह कि आयोग के पास, आयोग की सहायता के लिए आमंत्रित व्यक्तियों की विशेषज्ञता या प्रसिद्धी के मूल्यांकन के संबंध में पूर्ण विवेकाधिकार होगा ।

53. प्रकाशन. -

(1) यदि आयोग लोक हित में ऐसी वांछा करता है तो वह अपने आदेशों या निर्णयों के संक्षिप्त सार या पूर्ण पाठ को मीडिया में प्रकाशित करा सकेगा, किन्तु ऐसा करते समय संबंधित व्यक्तियों के कारबार रहस्यों का ध्यान रखा जाएगा और आदेश अथवा निर्णय के ऐसे भागों को हटा देने का निदेश दिया जा सकेगा, जिन्हें वह उचित समझे ।

(2) अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2) या उपधारा (6) के अधीन मामला समाप्त करने का निदेश देने वाले सभी आदेशों या निर्णयों को संक्षेप में आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा ।

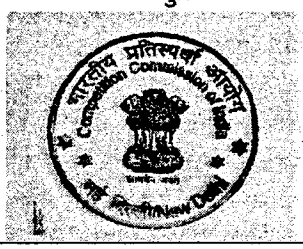
(3) सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह इस विनियम में निर्दिष्ट आदेशों या निर्णयों का प्रकाशन करे ।

54. कठिनाइयों को दूर करना

इन विनियमों के निर्वचन के विषय में, यदि कोई संदेह या कठिनाई सामने आती है तो उन्हें आयोग के समक्ष रखा जाएगा और उस पर आयोग का विनिश्चय बाध्यकर होगा ।

अनुलग्नक

(विनियम 4 देखें)

1. मुद्रा	2.प्रतीक
	

एस. एल. बंकर, सचिव

[विज्ञापन III/4/असाधारण/187-एम/09]

THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2009

The Competition Commission of India (General) Regulations, 2009

(No. 2 of 2009)

No. R-40007/6/Reg-General/Noti/04-CCI.—In exercise of the powers conferred by section 64 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003) the Competition Commission of India hereby makes the following regulations, namely: –

1. Short title and commencement. –

(1) These regulations may be called the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. –

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires, –

(a) "Act" means the Competition Act, 2002 (12 of 2003);

(b) "Chairperson" means the Chairperson appointed under sub-section (1) of section 8 of the Act;

(c) "Commission" means the Competition Commission of India established under sub-section (1) of section 7of the Act;

(d) "counsel" means a legal practitioner or a chartered accountant or a company secretary or a cost accountant as defined in the explanation to section 35 of the Act;

(e) "Director General" means the Director General appointed under sub-section (1) of section 16 of the Act and includes any Additional, Joint, Deputy or Assistant Directors General appointed under that section;

(f) "expert" means an expert engaged to assist the Commission under sub-section (3) of section 17 of the Act or an expert called upon to assist the Commission in any inquiry or proceeding under sub-section (3) of section 36 of the Act;

(g) "media" includes newspapers, magazines, periodicals, journals, radio, cinema, television and internet;

(h) "ordinary meeting", shall have the same meaning as assigned to it in the Competition Commission of India (Meetings for Transaction of Business) Regulations, 2009;

(i) "Party" includes a consumer or an enterprise or a person defined in clauses (f), (h) and (l) of section 2 of the Act respectively, or an information provider, or a consumer association or a trade association or

IndiaCode

the Director General defined in clauses (g) of section 2 of the Act, or the Central Government or any State Government or any statutory authority, as the case may be, and shall include an enterprise against whom any inquiry or proceeding is instituted and shall also include any person permitted to join the proceedings or an intervener;

(j) "reference" means a reference–

(i) received in the Commission from the Central Government or a State Government or a statutory authority under clause (b) of sub-section (1) of section 19 of the Act, or

(ii) received in the Commission from a statutory authority under section 21 of the Act for opinion, or

(iii) sent to a statutory authority for opinion by the Commission under section 21A of the Act, or

(iv) received in the Commission from the Central Government or a State Government for opinion under sub-section (1) of section 49 of the Act.

(k) "Secretary" means the Secretary appointed under sub-section (1) of section 17 of the Act and includes an officer of the Commission authorized by the Chairperson to function as Secretary;

(l) 'Tribunal' means Competition Appellate Tribunal established under sub-section (1) of section 53A of the Act;

(m) "working day" for the office of the Commission at New Delhi or any other office of the Commission means the day on which it functions but does not include Saturday or Sunday or any other day which is declared to be a public holiday by the Central Government under the Negotiable Instruments Act, 1881 (26 of 1881) for New Delhi or for such other place, as the case may be.

(2) Words and expressions used but not defined in these regulations shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act or in the Companies Act, 1956 (1 of 1956), as the case may be.

3. Powers to determine procedure in certain circumstances. –

In a situation not provided for in these regulations, the Commission may, for reasons to be recorded in writing, determine the procedure in a particular case.

4. Seal and emblem. –

The official seal and emblem of the Commission shall be such as indicated by a drawing given in Annexure.

5. Language of the Commission. –

The language of the Commission shall be English.

6. Filing of documents in Hindi. –

Notwithstanding anything contained in these regulations, the parties may file documents drawn up in Hindi, if they so desire:

Provided that no information, reference or other papers contained in any language other than English shall be accepted by the Commission unless the same is accompanied by a true translation thereof in English as stipulated in regulation 7.

7. Translation of documents. –

Documents that are not filed in English shall be translated into English by a translator approved by the Commission, from time to time:

Provided that a translation, which is agreed to by all the parties to the proceedings, may be accepted by the Commission, in appropriate cases, as a true translation.

8. Holidays to be observed by the Commission. –

(1) The head office of the Commission shall observe, besides Saturday and Sunday, holidays as declared by the Central Government at Delhi under the Negotiable Instruments Act, 1881 (26 of 1881).

(2) Any other office of the Commission at places other than Delhi shall observe, besides Saturday and Sunday, holidays as declared by the Central Government under the Negotiable Instruments Act,1881(26 of 1881) for such place.

9. Computation of time. –

(1) Where a period of time dates from a given day, act or event is prescribed by or allowed under these regulations for doing an act or taking a proceeding, the time shall be reckoned exclusive of the said day, or of the day of the act or event, from which the time runs.

(2) Where the time prescribed by or allowed under these regulations for doing an act or taking a proceeding expires on a Saturday or Sunday or on a day on which the office of the Commission is closed, the act may be done or the proceeding may be taken on the first day following the Saturday, Sunday or the day on which that office is closed.

10. Contents of information or the reference. –

(1) The information or reference (except a reference under sub-section (1) of section 49 of the Act) shall, *inter alia*, separately and categorically state the following *seriatum*-

(a) legal name of the person or the enterprise giving the information or the reference;

(b) complete postal address in India for delivery of summons or notice by the Commission, with Postal Index Number (PIN) code;

(c) telephone number, fax number and also electronic mail address, if available;

(d) mode of service of notice or documents preferred;

(e) legal name and address(es) of the enterprise(s) alleged to have contravened the provisions of the Act; and

(f) legal name and address of the counsel or other authorized representative, if any;

(2) The information or reference referred to in sub-regulation (1) shall contain –

(a) a statement of facts;

(b) details of the alleged contraventions of the Act together with a list enlisting all documents, affidavits and evidence, as the case may be, in support of each of the alleged contraventions;

(c) a succinct narrative in support of the alleged contraventions;

(d) relief sought, if any;

(e) such other particulars as may be required by the Commission.

(3) The contents of the information or the reference mentioned under sub-regulations (1) and (2), alongwith the appendices and attachments thereto, shall be complete and duly verified by the person submitting it.

11. Signing of information or reference. –

(1) An information or a reference or a reply to a notice or direction issued by the Commission shall be signed by –

(a) the individual himself or herself, including a sole proprietor of a proprietorship firm;

(b) the *Karta* in the case of a Hindu Undivided Family (HUF);

(c) the Managing Director and in his or her absence, any Director, duly authorized by the board of directors in the case of a company,

(d) the President or the Secretary in the case of an association or society or similar body or the person so authorized by the legal instrument that created the association or the society or the body;

(e) a partner in the case of a partnership firm;

(f) the chief executive officer in the case of a co-operative society or local authority;

(g) in the case of any other person, by that person or by some person duly authorized to act on his behalf.

(2) A reference shall be signed and authenticated by an officer not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India or equivalent in the State Government or the Chief Executive Officer of the Statutory Authority if the same has been received from the Central Government or State Government or Statutory Authority

(3) Without prejudice to the provisions of this regulation, the counsel may also append his or her signature to the information or reference as the case may be.

12. Procedure for filing of information or reference. –

(1) Information or reference or responses thereto to the Commission shall be presented to the Secretary or to an officer authorized in this behalf by the Secretary, in person or sent by registered post or courier service or facsimile transmission addressed to the Secretary or to such authorized officer.

(2) Any separate or additional document(s) that a party to the proceedings wishes to rely upon in support of it's information, or reference shall be filed in the form of a "Paper Book", at least seven days prior to the date of the ordinary meeting, after serving the copies of the said document(s) on the other parties to the proceedings, with documentary proof of such service. Such documents shall be serially numbered, prefaced by an index and shall be supported by a verification.

(3) An information(s) or reference sent by post or courier service or facsimile transmission under sub-regulation (1) shall be deemed to have been presented to the Secretary or to the officer authorized by the Secretary, on the day on which it is received in the office of the Secretary or the authorized officer, as the case may be.

13. Procedure for filing of information or reference in electronic form. –

Subject to the provisions of regulation 12, information or a reference to the

Commission may be sent by a person or an enterprise to the Secretary in an electronic form duly authenticated with digital signature by the subscriber as and when so desired by the Commission through a public notice.

Explanation – For the purpose of this regulation, –

(a) "digital signature" means the digital signature as defined under clause (p) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 0f 2000);

(b)"electronic form" with reference to an information or a document means the electronic form as defined under clause (r) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 0f 2000);

(c) "subscriber" means the subscriber as defined under clause (zg) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).

14. Powers and functions of the Secretary. –

(1) The Secretary shall have the custody of records of the Commission and shall exercise such other functions as may be assigned by the Chairperson.

(2) Subject to the Competition Commission of India (Meetings for Transaction of Business) Regulations, 2009, the Secretary shall circulate to all concerned, the date, time and place of each meeting, as per the directions of the Chairperson.

(3) The Secretary shall be the nodal officer on behalf of the Commission for, –

(a) making or receiving all statutory communications;

(b) entering into any formal relationships, including signing of any memorandum or arrangement, with competition authority or any agency of any foreign country, with the prior approval of the Commission and the Central Government, as per section 18 of the Act.

(4) The Commission may sue or be sued in the name of the Secretary and the Commission shall be represented in the name of the Secretary in all legal proceedings, including appeals before the Tribunal.

(5) Subject to the provisions of section 51 of the Act, the Secretary shall assist the Committee of Members constituted under sub-section (3) of section 51 of the Act for, –

(a) preparation and approval of the annual budget of the Commission;

(b) administration of the competition fund.

(6) The Secretary shall keep in custody the official seal of the Commission. The official seal of the Commission shall not be affixed to any document including the certified copies of the orders of the Commission, save and under the authority in writing of the Secretary.

(7) Subject to sub-regulation (1) , to ensure a timely and efficient disposal of the matters brought before the Commission and for achieving the objectives of the Act, the Secretary shall have the following powers and functions, –

(a) to receive, endorse and categorize all the information, references, applications or documents including miscellaneous applications and other documents for transfer of proceedings and application for adjournment, etc.;

(b) to check the amount of fee received where applicable and to ensure the timely deposit of the same in the bank account of the Commission;

(c) to scrutinize all information, references, applications or documents so received to find out whether they are in conformity with the rules and

regulations;

(d) to point out defects in such information(s), references, applications or documents to the parties requiring them to rectify such defects;

(e) to serve copy of the information, reference, application or document along with the enclosures to the concerned parties including the Director General, within a reasonable time;

(f) to serve the notice of the date of the ordinary meeting of the Commission to consider the information or reference or document to decide if there exists a prima facie case and to convey directions of the Commission for investigation or to issue notice of inquiry after receipt and consideration of the report of the Director General;

(g) to bring on record executors, administrators or other legal representatives, in case of death of any party or adjudication of a party as insolvent, upon an application by any party to the proceedings;

(h) to verify the service of notice or other processes and to ensure that the parties are properly served;

(i) to requisition records on the direction of the Commission from the custody of any authority;

(j) to allow inspection of records of the Commission;

(k) to return the documents filed by any party or authority on orders of the Commission;

(l) to certify and issue copies of the orders of the Commission to the parties;

(m) to grant certified copies of documents filed in the proceedings to the parties, in accordance with these regulations;

(n) to grant certified copies of the orders of the Commission for publication, in accordance with these regulations;

(o) to dispose of all matters relating to the service of notices or other related processes, applications for issue of fresh notice or for extending the time for or ordering a particular method of service on a party including a substituted service by publication of notice by way of advertisement in the newspaper or putting it on the website, as the case may be;

(p) To compile and preserve record of any proceeding during an ordinary meeting including:-

(i) the chronology of events;

(ii) the initiating document;

(iii) the notice of the meeting;

(iv) report of the Director General, if any;

(v) opinion of expert, if any;

(vi) any interim order made;

(vii) all documentary evidence filed;

(viii) the transcript, if any, of the oral evidence given;

(ix) the final order or decision of the Commission;

(q) to disclose information subject to section 57 of the Act;

(r) to ensure confidentiality of documents or evidences or statements or any analysis as per these regulations, by keeping them in safe custody;

(s) to undertake maintenance of records including weeding out of records in accordance with retention schedule in force and in accordance with directions of the Chairperson issued from time to time;

(t) to file complaint before the Chief Metropolitan Magistrate, Delhi for non-compliance with the orders or directions of the Commission under sub-section (3) of section 42 of the Act , if so directed by the Commission.

15. Procedure for scrutiny of information or reference. –

(1) Each information or reference received in the Commission shall be scrutinized by the Secretary to check whether it conforms to these regulations and the defects, if any, shall be communicated to the party within a reasonable time not exceeding , –

(a) fifteen days in case of an information or reference received under clause (b) of sub-section (1) of section 19 of the Act; or

(b) seven days in case of a reference received under section 21 or sub-section (1) of section 49 of the Act.

(2) The information provider referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 19 of the Act or the Central Government or the State Government or the statutory authority referred under clause (b) of sub-section (1) of section 19 or in sub-section (1) of section 49 of the Act, as the case may be, shall, on receipt of the communication about the defects under sub-regulation (1), remove the defects within:-

(a) thirty days of receiving the intimation in case of an information or reference under clause (b) of sub-section (1) of section 19 of the Act; or

(b) fifteen days of receiving the intimation in case of a reference under section 21 or sub-section (1) of section 49 of the Act.

(3) In case the defects are not removed by the Central Government or the State Government or the statutory authority or the concerned party, as the case may be, as per the provision of sub-regulation (2), the information or the reference or the application connected therewith shall be treated as invalid:

Provided that the Central Government or the State Government or the Statutory Authority or the concerned party shall be entitled to file fresh information, reference or application for consideration by the Commission together with applicable fees.

(4) In the event of the information having been treated as invalid under sub-regulation (3), the fee paid on such information shall stand forfeited.

(5) Nothing contained herein above shall preclude the Commission from using the contents of such information or reference in any manner as may be deemed fit, for inquiring into any possible contravention of any provision of the Act:

Provided that the time taken in removing the defects in such references shall not count towards the period of sixty days provided for giving of opinion by the Commission in sub-section (2) of section 21 or sub-section (1) of section 49 of the Act, as the case may be.

16. Opinion on existence of *prima facie* case. –

(1) The Secretary, after scrutiny and removal of defects, if any, in an information or reference, as the case may be, shall place the same before the Commission to form its opinion on existence of a *prima facie* case.

(2) In cases of alleged anti-competitive agreements and/or abuse of dominant position, the Commission shall, as far as possible, record its opinion on existence of a *prima facie* case within sixty days.

(3) The Commission shall, as far as possible, hold its first ordinary meeting to consider whether *prima facie* case exists, within fifteen days of the date of placement of the matter by the Secretary under sub -regulation (1).

17. Preliminary conference. –

(1) The Commission may, if it deems necessary, call for a preliminary conference to form an opinion whether a *prima facie* case exists.

(2) The Commission may invite the information provider and such other person as is necessary for the preliminary conference.

(3) A preliminary conference need not follow formal rules of procedure.

18. Issue of direction to cause investigation on *prima facie* case. –

(1) Where the Commission is of the opinion that a *prima facie* case exists, the Secretary shall convey the directions of the Commission to the Director General to investigate the matter and furnish a report to the Commission on or before the date specified therein.

(2) A direction of investigation to the Director General shall be deemed to be the commencement of an inquiry under section 26 of the Act.

19. Communication of order when *no prima facie* case found. –

If the Commission is of the opinion that there exists no *prima facie* case, the Secretary shall send a copy of the order of the Commission regarding closure of the matter forthwith to the Central Government or the State Government or the Statutory Authority or the parties concerned, as the case may be, as provided in sub-section (2) of section 26 of the Act.

20. Investigation by Director General. –

(1) The Secretary shall, while conveying the directions of the Commission under regulation 18, send a copy of the information or reference, as the case may be, with all other documents or materials or affidavits or statements which have been filed either along with the said information or reference or at the time of preliminary conference, to the Director General.

(2) The Commission shall direct the Director General to submit a report within such time as is reasonable to collect relevant data, record statements, afford opportunity for cross-examination of witnesses and to carry out other necessary analysis in the circumstances of the particular case.

(3) The Commission may, on an application made by the Director General, extend the time for submission of the report.

(4) The report of the Director General shall contain his findings on each of the allegations made in the information or reference, as the case may be, together with all evidences or documents or statements or analyses collected during the investigation.

(5) Eight copies of the report of the Director General, along with a soft copy in document format, shall be forwarded to the Secretary within the time specified by the Commission:

Provided that the Secretary may ask for more copies of the report as and when required.

(6) If the Commission, on consideration of the report, is of the opinion that further investigation is called for, it may direct the Director General to make further investigation and submit a supplementary report on specific issues within a reasonable time to be specified in its direction.

21. Procedure for inquiry under section 26 of the Act. –

(1) On receipt of the report of the Director General, the Secretary shall place the said report before the Commission for further orders and, in accordance with the direction of the Commission, forward copies thereof to the Central Government or the State Government or statutory authority or the parties concerned, as the case may be.

(2) If the report of the Director General finds no contravention of the provisions of the Act, the Secretary shall convey the directions of the Commission for inviting objections or suggestions from the Central Government or the State Government or the statutory authority, or from the parties concerned, as the case may be on such report of the Director General.

(3) If the Commission orders closure of the matter on consideration of the objections or suggestions, if any, referred to in sub-regulation (2), and agrees with the findings of the Director General, the Secretary shall convey the orders of the Commission to the Central Government or the State Government or the statutory authority or the parties concerned, as the case may be.

(4) If the Commission, on consideration of the objections or suggestions, referred to in sub-regulation (2), directs further investigations in the matter by the Director General or further inquiries in the matter to be made by an officer of the Commission so authorized by it, the Secretary shall convey the directions of the Commission to the Director General or the officer so authorized, as the case may be.

(5) On an application made by the officer authorized by the Commission justifying the production of specified books or other documents, as may be required to make further inquiries under sub-regulation (4), the Commission may direct any person to produce such specified books or other documents relating to any trade carried out by such person or enterprise, as per the provisions of sub-section (4) of section 36 of the Act.

Explanation. – For the purpose of this sub-regulation, the word "officer" shall include the experts and professionals mentioned under sub-section (3) of section 17 or sub-section (3) of section 36 of the Act.

(6) On receipt of the report of the Director General on further investigation or report of the authorized officer on further inquiries, as the case may be, the Secretary shall fix the meeting of the Commission for consideration thereof.

(7) If the report of the Director General mentioned under sub-regulation (1) finds contravention of any of the provisions of the Act, the Secretary shall obtain the orders of the Commission for inviting objections or suggestions from the Central Government or the State Government or the statutory authority or the parties concerned, as the case may be.

(8) On consideration of the objections or suggestions from the Central Government or the State Government or the statutory authority or the parties concerned, or the report of further investigation or further inquiries, as the case may be, if the Commission is of the opinion that further inquiry is called for, the Secretary shall fix the meeting of the Commission for consideration thereof, after issue of notice as per regulation 22, to the Central Government or the State Government or the statutory authority or the parties concerned, as

the case may be.

(9) The Secretary shall keep the Director General informed of the dates of the meetings of the Commission for inquiry under sub-section (7) or sub-section (8) of section 26 of the Act for appearing in person or through any of his officers in accordance with the provisions of section 35 of the Act.

22. Mode of service of notice, etc. –

(1) Every notice or other document required to be served on or delivered to any person, under these regulations, may be served personally or sent by registered post, or by speed post or by courier service at the address furnished by him or her or it for service, or at the place where the person ordinarily resides or carries on business or occupation or works for gain.

(2) Additionally, this may also be sent through facsimile transmission or by electronic mail. The facsimile transmission shall contain a cover page giving details of the sender, the subject, date of transmission, and the recipient's name and telephone number.

(3) An endorsement made by a postal or courier employee that the addressee or his agent has refused to take delivery of the notice shall be deemed to be proof of service by way of refusal.

(4) In case, the postal or courier employee reports that the addressee has since left or is not available at the given address, the Commission relying on the information so furnished, may take a view as it may deem appropriate and may proceed to take steps for substituted service.

(5) Where summons or notice was properly addressed, prepaid and duly sent by registered post acknowledgement due, and the acknowledgement having been lost or mislaid or for any other reason, has not been received by the Commission within thirty days from the date of issue of summons, the Commission may deem the service to be sufficient and may make a declaration accordingly.

(6) Where the service of notice is not possible under the above referred modes and where the addressee cannot be found or is not traceable, the service may be effected by way of affixing a copy of summons or notice on the conspicuous part of the house in which the recipient ordinarily resides , the service may be deemed to be sufficient in view of Rule 20 of Order V of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

(7) Where the Commission is satisfied that the recipient of the notice is avoiding service or that for any other reason notice cannot be served in the ordinary way, it shall order service by an advertisement in the daily newspaper circulated in the locality where the recipient is last known to have resided.

23. Filings before Commission. –

(1) All information(s) or references or responses thereto, or other documents which are required to be filed before the Commission shall be typed in Arial 12 fonts on one side of A4 size (210 x 297mm or 8.27"x11.69") white bond paper in double space with 2" margin on the left and 1" margin on all other sides.

(2) Only neat and legible photocopies or scanned documents duly certified as true copies may be filed as exhibits or annexes.

(3) Eight copies of each document referred to in sub-regulation (1), in addition to a soft copy in document format, wherever possible, shall be filed:

Provided that the Secretary may, through public announcement, increase or decrease the number of copies depending on the number of Members of the

Commission and the number of parties to the proceedings:

Provided further that the Secretary may, through public announcement, vary the format in which the soft copy is to be filed.

24. Power of Commission to join or substitute parties in proceedings. –

(1) The Commission, on an application made in writing, by any party to the proceedings, may combine any number of persons or enterprises, whether jointly, jointly and severally, separately, or in the alternative, as parties in the same proceedings, in an ordinary meeting if, –

(a) any right to relief in respect of, or arising out of, the same act or transaction or series of acts or transactions is alleged to exist in such applicants, whether jointly, severally or in the alternative ;

(b) the applicants can show, to the satisfaction of the Commission, that common question of law or fact would arise; and

(c) the Commission is satisfied that participation of such person or enterprise, as the case may be, is necessary for the determination of the issues before it.

(2) If in any proceedings it becomes necessary to substitute a person or enterprise for an existing party, the Commission, may make an order of such substitution.

(3) On an application made by a party, admitted to the proceedings under sub-regulation (1) or sub-regulation (2), the Secretary shall furnish to the person or enterprise, as the case may be, joined or substituted as parties, copies of such documents previously filed in the matter by other parties as may be decided by the Commission within ten days of the order.

(4) No order under sub-regulation (1) or sub-regulation (2) shall affect any prior steps taken in the proceedings.

25. Power of Commission to permit a person or enterprise to take part in proceedings. –

(1) While considering a matter in an ordinary meeting, the Commission, on an application made to it in writing, if satisfied, that a person or enterprise has substantial interest in the outcome of proceedings and that it is necessary in the public interest to allow such person or enterprise to present his or its opinion on that matter, may permit that person or enterprise to present such opinion and to take part in further proceedings of the matter, as the Commission may specify.

(2) The application referred to in sub-regulation (1) shall be accompanied by proof of payment of fees, in accordance with regulation 49.

(3) The application referred to in sub-regulation (1) shall contain, –

(a) legal name of the person or the enterprise making the request;

(b) address in India for service of notice or documents;

(c) telephone number, facsimile number and electronic mail address, if available;

(d) the mode of service of notice or documents to be used;

(e) a concise statement of the matters in issue in the proceedings which affect the person or the enterprise making the request;

(f) documents or affidavits or evidence in support of the statement, with a list thereof.

(4) On an order made under sub-regulation (1), –

(a) on an application made by a party, Secretary shall furnish to the person or enterprise permitted to participate in the proceedings, copies of such documents previously filed in the matter by other parties as may be decided by the Commission within ten days of the order;

(b) the person or enterprise permitted to participate in the proceedings shall furnish copies of all documents filed under sub-regulation (3) to all other parties to the proceedings within ten days of the order.

26. Power to strike out unnecessary party. –

The Commission may, on an application by a party to the proceedings before it, during an ordinary meeting, stating that no relief has been claimed by or against him or that no relief has to be granted to or against him, permit the striking out of such party from the proceedings.

27. Power of Commission to join multiple information. –

(1) At any time after receipt of an information or a reference or an application, the Commission, if satisfied that the matter raised in any information or reference or application received subsequently is directly and substantially similar, may consolidate two or more similar information or references or applications, as the case may be, for consideration.

(2) At any time after receipt of an information or a reference for investigation from the Commission under sub-section (1) of section 26 of the Act, the Director General, if satisfied, that the matter raised in any information or reference received subsequently for investigation from the Commission is directly and substantially similar, may request the Commission to consolidate such similar information or references, as the case may be, for common investigation.

(3) Where the Commission consolidates two or more information or references or applications, in accordance with sub-regulation (1) and sub-regulation (2), –

(a) each such information or references, as the case may be, shall continue to be separately identified by its own docket number;

(b) pending consolidation of information or references by the Commission, the Director General may continue to investigate the matters.

28. Amendment of information. –

The Commission may permit amendment of any information, upon an application made in this regard but such amendment shall not be allowed if it substantially changes the nature and scope of the information.

29. Manner of making submissions or arguments by parties before Commission.

(1) Without prejudice to sub-section (1) of section 36 of the Act, the parties to the proceedings or their authorized representatives, as the case may be, shall declare to the Commission at the earliest opportunity whether they would make oral submissions or file written arguments during the course of an inquiry under section 26 of the Act:

Provided that where the parties to the proceedings or their authorized representatives, as the case may be, have chosen to file written arguments they shall arrange to forward copies thereof to all parties to the proceedings sufficiently in advance and shall submit proof of the receipt by all parties to the Secretary before the fixed date of consideration of the matter by the Commission.

(2) Subject to sub-regulation (1), the Commission may fix or limit the time during which the oral submissions or written arguments shall be addressed or filed by the parties or their authorized representatives, as the case may be, before it and may proceed to decide a matter in the absence of the party which does not abide by such timings as per regulation 30.

30. Power of the Commission to continue proceedings in absence of party. –

(1) Where on the day fixed for any particular matter during an ordinary meeting, including the day of the meeting re-fixed on adjournment, if any party or parties to the proceeding do not appear even after service of notice or having noted the date, the Commission may decide to continue proceedings in the absence of party or parties, as the case may be, and pass appropriate orders as it deems fit.

(2) If any party refuses access to or otherwise does not provide necessary information within the stipulated time or significantly impedes investigation, the Commission may pass such order as it may deem fit on the basis of available facts.

(3) Where an order has been passed by the Commission under sub-regulation (1) or sub-regulation (2) and the party shows that it was prevented from participating in the proceeding before the Commission and/or furnishing the information required, for reasons beyond its control, the Commission, on being satisfied, may recall the order.

31. Interim order. –

(1) Where the Commission, during an inquiry, has, by an order, temporarily restrained any party from carrying on any act in contravention of sub-section (1) of section 3 or sub-section (1) of section 4 of the Act, until the conclusion of such inquiry or until further orders, under section 33 of the Act, such order, if any, shall be signed and dated by the Members, including a dissenting note by the dissenting Member, if that be the case, and shall be made at the earliest .

(2) Where during an inquiry, the Commission has passed interim order, referred to in sub-regulation (1),it shall hear the party against whom such an order has been made thereafter, as soon as possible.

32. Final order. –

(1) Every order of the Commission shall be signed and dated by the Members including a dissenting note by the dissenting Member, if that be the case.

(2) Every order or decision of the Commission shall, as far as practicable, be made within twenty-one working days from the date of conclusion of final arguments.

(3) A copy of the order duly certified by the Secretary or such other officer authorized by the Secretary shall be served on the parties to the proceeding as provided in regulation 22 within four weeks of the date of the order.

33. Reference from statutory authority or the Central Government or a State Government. –

(1) A reference from statutory authority under section 21 of the Act or The Central Government or State Government under section 49 of the Act for opinion made to the Commission shall contain such particulars as may be specified by the Commission.

(2) Without prejudice to sub-regulation (1), a reference from statutory authority under section 21 of the Act, shall contain:-

(a) the specific proposition of law or fact or specific issue or policy or any other matter relating to competition on which the opinion is solicited;

(b) background and historical data relevant for the determination of the proposition or the issue or the policy or any other matter;

(c) duly authenticated copies of the relevant statutes including the rules, the regulations, the notifications, the orders as considered necessary, if applicable;

(d) duly authenticated and updated list of the parties with their complete addresses, telephone numbers, fax numbers, e-mail addresses;

(e) proof of having informed the parties concerned about the matter having been referred to the Commission for opinion under section 21 of the Act, if applicable.

(3) The time to be reckoned for giving opinion on such reference under section 21 of the Act shall be subject to the proviso to sub-regulation (5) of regulation 15.

(4) On being satisfied that the reference is complete, the Secretary shall place it during an ordinary meeting of the Commission and seek necessary instructions regarding the parties to whom notice of meeting is to be issued.

(5) The Secretary shall give notice of the ordinary meeting to the said parties giving not less than seven days, in the manner specified, to take part in the proceedings.

(6) The parties to whom the notices are issued under sub-regulation (5), may file comments or reply to the notice after having served a copy thereof to each party at least seven days prior to the date of the ordinary meeting, if applicable.

(7) The Commission may call upon a representative of the statutory authority or the Central Government or the State Government or an expert in the field for discussion or evidence as it may consider necessary in the matter.

(8) The Commission may collect particulars and information from any person or enterprise or Central or State Government or statutory authority, which in its opinion is relevant to the reference received by the Commission.

(9) The Commission may form an opinion and send the same to the concerned parties and seek their objections and/or suggestions thereon within the time decided by it and after considering such objections or suggestions it shall give its final opinion to the statutory authority or the Central Government or the State Government, as the case may be.

34. Reference by the Commission to statutory authority for opinion. –

(1) A reference from the Commission to any statutory authority for opinion under section 21A of the Act shall contain,–

(a) the specific proposition of law or fact or specific issue relating to competition on which the opinion is solicited;

(b) background and historical data relevant for the determination of the proposition or the issue;

(c) duly authenticated copies of the Act, the relevant rules and regulations framed thereunder, the notifications and the orders, if any, passed by the Commission in the pending matter as considered necessary;

(d) duly authenticated and updated list of the parties with their complete addresses, telephone numbers, fax numbers, e-mail addresses etc.;

(e) proof of the Secretary having informed the parties concerned about the matter having been referred to the statutory authority for opinion under section 21A of the Act;

(f) the Secretary shall certify that the reference being forwarded is in conformity with clauses (a) to (e);

(2) Where the statutory authority seeks additional information in the reference made, the Secretary shall, as far as practicable, provide such additional information to the concerned statutory authority within fifteen days of receipt of the same from the statutory authority.

(3) In case the opinion is not received from the statutory authority within sixty days of forwarding a reference under sub-regulation (1) or sub-regulation (2), the Secretary shall place the matter during an ordinary meeting of the Commission for further orders;

(4) On receipt of the opinion from the statutory authority by sub-section (2) of section 21A of the Act, the Secretary shall place the same during an ordinary meeting of the Commission for orders.

35. Confidentiality. –.

(1) The Commission shall maintain confidentiality of the identity of an informant on a request made to it in writing.

(2) Any party may submit a request in writing to the Commission or the Director General, as the case may be, that a document or documents, or a part or parts thereof, be treated confidential.

(3) A request under sub-regulation (2) may be made only if making the document or documents or a part or parts thereof public will result in disclosure of trade secrets or destruction or appreciable diminution of the commercial value of any information or can be reasonably expected to cause serious injury.

(4) A request under sub-regulation (2) shall be accompanied with a statement setting out cogent reasons for such treatment and to the extent possible the date on which such confidential treatment shall expire.

(5) Where such document or documents, or a part or parts thereof. form part of the party's written submissions, the party shall file a complete version with the words "restriction of publication claimed" in red ink on top of the first page and the word 'confidential' clearly and legibly marked in red ink near the top on each page together with a public version, which shall not contain such document or documents or part or parts thereof..

(6) The public version of such written submissions shall be an exact copy of the confidential version with the omissions of the confidential information being indicated in a conspicuous manner, as stipulated in sub-regulation (5).

(7) The public version of such written submissions alone shall be served on the other parties.

(8) On receipt of a request under sub-regulation (2), the Commission or the Director General, as the case may be, if satisfied, shall direct that the document or documents or a part or parts thereof shall be kept confidential for the time period to be specified.

(9) The Commission or the Director General, as the case may be, may also consider the following while arriving at a decision regarding confidentiality: –

(a) the extent to which the information is known to outside public;

(b) the extent to which the information is known to the employees, suppliers, distributors and others involved in the party's business;

(c) the measures taken by the party to guard the secrecy of the information;

(d) the ease or difficulty with which the information could be acquired or duplicated by others.

(10) In case the Director General has rejected the request of the party made under sub-regulation (2), the party may approach the Commission for a decision regarding confidential treatment.

(11) Where the Director General or the Commission has rejected the request for confidential treatment of a document or documents or a part or parts thereof and has informed the party of its intention, such document or documents or part or parts thereof shall, subject to sub-regulation (13), not be treated as confidential,

(12) If the party is unwilling to make the document or documents or a part or parts thereof public despite the Commission or the Director General having reached a decision that confidential treatment is not warranted, subject to any orders to the contrary that the Commission may pass under section 57 of the Act, such document or documents or part or parts thereof shall be returned to the party and the information contained therein shall be disregarded.

(13) The document or documents or a part or parts thereof that have been granted confidential treatment under this regulation shall be segregated from the public record and secured in a sealed envelope or any other appropriate container, bearing the title, the docket number of the proceeding, the notation "confidential record under regulation 35" and the date on which confidential treatment expires.

(14) If the Commission includes in any order or decision or opinion, information that has been granted confidential treatment under this regulation, the Commission shall file two versions of the order or decision or opinion. The public version shall omit the confidential information that appears in the complete version, be marked "subject to confidentiality requirements under regulation 35" on the first page, shall be served upon the parties, and shall be included in the public record of the proceeding. The complete version shall be placed in the confidential record of the proceeding as provided in sub-regulation (13).

(15) Any person or party, including any officer or employee appointed by the Commission under sub-section (1) of section 17 of the Act and any expert or professional engaged by the Commission under sub-section (3) of section 17 of the Act or any expert called upon to assist the Commission under sub-section (3) of section 36 of the Act privy to the contents of the document or documents or a part or parts thereof that have been granted confidential treatment under this regulation shall maintain confidentiality of the same and shall not use or disclose or deal with such confidential information for any other purpose other than the purposes of the Act or any other law for the time being in force:

Provided that breach of confidentiality by any officer or employee of the Commission appointed under sub-section (1) of section 17 of the Act shall constitute a ground for initiation of disciplinary proceedings under the relevant rules or regulations, as the case may be:

Provided further that breach of confidentiality by any expert or professional engaged by the Commission under sub-section (3) of section 17

of the Act or any expert called upon to assist the Commission under sub-section (3) of section 36 of the Act shall be sufficient ground for termination of the engagement or contract, as the case may be.

36. Compliance of orders of Commission. –

The Commission shall have power to direct the parties concerned to file an affidavit of compliance of its order or such other documents in the manner specified in its order.

37. Inspection and certified copies of documents. –

(1) Subject to the provisions of regulation 35, a party to any proceeding of an ordinary meeting of the Commission may on an application in writing in that behalf, addressed to the Secretary, be allowed to inspect or obtain copies of the documents or records submitted during proceedings on payment of fee as specified in regulation 51.

(2) The Commission may, on an application of a person, who is not a party to the proceedings, on sufficient cause demonstrated, allow such person inspection of documents or records mentioned in sub-regulation (1) on payment of fee as specified in regulation 51.

(3) An inspection shall be allowed only in the presence of an officer so authorized by the Secretary:

Provided that the inspection of documents or copying thereof as per sub-regulation (1) or sub-regulation (2) shall be allowed under the supervision of and subject to the time limits to be specified by the Secretary or an officer authorized by him in this behalf.

(4) An officer of the Central or State Government or the Director General or a statutory authority shall be allowed inspection and obtain copies of documents or records mentioned in sub-regulation (1) on making written request to the Secretary for the purpose.

38. Dress code for participating in ordinary meetings of Commission. –

(1) The Members, officers and employees of the Commission, the Director General, parties to any proceeding and their counsels shall attend the ordinary meetings of the Commission in the national dress or in lounge suit or jacket with tie. Ladies may wear jacket over *sari* or *salwar kameez*.

(2) Where a counsel belongs to a profession which has prescribed a dress for appearing in their professional capacity before any Court, Tribunal or such authority, he or she may appear in that dress and attend the ordinary meetings of the Commission.

39. Continuation of proceedings after death of a party or adjudication of a party as insolvent. –

Where a party to a proceeding in an ordinary meeting of the Commission dies or is adjudged insolvent or, in the case of a company, being wound up, the proceeding shall not abate and may be continued by or against the executor, administrator or other legal representative of the parties or by or against the assignee, receiver or liquidator, as the case may be.

40. Effect of non-compliance. –

Failure to comply with any requirement of these regulations shall not invalidate any proceeding, merely by reason of such failure, unless the Commission is of the view that such failure has resulted in miscarriage of justice.

41. Taking of evidence. –

(1) Subject to the provisions of the Act, the Commission or the Director General, as the case may be, may determine the manner in which evidence may be adduced in the proceedings before them.

(2) Without prejudice to sub-regulation (1), the Commission or the Director General, for the purpose of inquiry or investigation, as the case may be, may –

(a) admit evidence taken in the form of verifiable transcripts of tape recordings, unedited versions of video recording, electronic mail, telephone records including authenticated mobile telephone records, written signed unsworn statements of individuals or signed responses to written questionnaires or interviews or comments or opinions or analyses of experts based upon market surveys or economic studies or other authoritative texts or otherwise, as material evidence;

(b) admit on record every document purporting to be a certificate, certified copy or other document, which is by law declared to be admissible as evidence of any particular fact provided it is duly certified by a gazetted officer of the Central Government or by a State Government or a statutory authority, as the case may be or a Magistrate or a Notary appointed under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) or the Secretary of the Commission;

(c) admit the entries in the books of account, including those maintained in an electronic form, regularly kept in the course of business, including entries in any public or other official book, register or record or an electronic record, made by a public servant in the discharge of his official duty, or by any other person in performance of a duty specially enjoined by the law of the country in which such book, register or record or an electronic record is kept, as documentary evidence;

(d) admit the opinion of any person acquainted with the handwriting of the person by whom a document is supposed to have been written or signed, as relevant fact to prove the handwriting of the person by whom the document was written or signed;

(e) admit the opinion of the handwriting experts or the experts in identifying finger impressions or the persons specially skilled in interpretation of foreign law or of science or art;

(f) take notice of the facts of which notice can be taken by a court of law under section 57 of the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872);

(g) accept the facts, which parties to the proceedings admit or agree in writing as proved;

(h) presume that any document purporting to be a certified copy of any record of any authority, court or government of any country not forming part of India as genuine and accurate, if the document purports to be certified in any manner which is certified by any representative of the National Government of such country to be the manner commonly in use in that country for the certification of copies of such records, including certification by the Embassy or the High Commission of that country in India.

(i) admit such documents including electronic records in evidence as may be considered relevant and material for the proceedings.

(3) Subject to the provision of sub-regulation (2), the following sections of the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872), in so far as they are applicable to the matters relating to, –

(a) section 22-A –when oral admission as to contents of electronic records are relevant;

(b) section 47-A - opinion as to digital signature when relevant;

(c) section 65-B - admissibility of electronic records;

(d) section 67-A - proof as to digital signature;

(e) section 73-A - proof as to verification of digital signature;

(f) section 81-A - presumption as to Gazettes in electronic forms;

(g) section 85-A - presumption as to electronic agreements;

(h) section 85-B - presumption as to electronic records and electronic signatures;

(i) section 85-C - presumption as to digital signature certificates;

(j) section 88-A - presumption as to electronic messages;

(k) section 89 – presumption as to due execution etc., of documents not produced;

(l) section 90-A - presumption as to electronic records five years old;

may be applicable for the purpose of inquiry or investigation, by the Commission or the Director General, as the case may be.

(4) The Commission or the Director General, as the case may be, may call for the parties to lead evidence by way of affidavit or lead oral evidence in the matter.

(5) If the Commission or the Director General, as the case may be, directs evidence by a party to be led by way of oral submission, the Commission or the Director General, as the case may be, if considered necessary or expedient, grant an opportunity to the other party or parties, as the case may be, to cross examine the person giving the evidence.

(6) The Commission or the Director General, as the case may be, may, if considered necessary or expedient, direct that the evidence of any of the parties to be recorded by an officer or person designated for the said purpose.

(7) The Commission may direct the parties to file written note of arguments or submissions in the matter.

42. Supporting of facts by filing of affidavit. –

(1) The Commission or the Director General, as the case may be, may at any time, for sufficient reason, order that any particular fact or facts may be supported by affidavit.

(2) Every affidavit shall be typed in Arial 12 fonts on one side of A4 size (210 x 297 mm or 8.27" x 11.69") white bond paper in double space with 2" margin on the left and 1" margin on all other sides.

(3) Every affidavit shall clearly state the cause or matter in which it is sworn.

(4) Every affidavit shall be drawn up in the first person, and shall be divided into paragraphs to be numbered consecutively, and shall state the description, occupation and the true place of residence of the deponent.

(5) Affidavits for the purposes of any cause or matter before the Commission may be sworn before any Court or Magistrate or a Notary appointed under the Notaries Act, 1952 (53 0f 1952) or any officer or other person a High Court may appoint in this behalf or any officer appointed by any other Court which the State Government has generally or specially empowered in this behalf *vide* authority mentioned in section 139 of the Code of Civil Procedure, 1908 (15 of 1908).

(6) Every exhibit annexed to an affidavit shall be marked with the title and number of the cause or matter and shall be initialed and dated by the authority before whom it is sworn.

(7) No affidavit having any interlineations, alteration or erasure shall be filed in Commission or the Director General, as the case may be, unless the interlineations or alteration is initialed or unless in the case of an erasure the words or figures written on the erasure are re-written in the margin and initialed, by the authority before whom, the affidavit is sworn.

(8) The Commission or the Director General, as the case may be, may refuse to receive an affidavit where in its opinion the interlineations, alterations or erasures are numerous as to make it expedient that the affidavit should be re-written.

(9) Where a specific time is given for filing affidavits, no affidavit filed after that time shall be used except by leave of the Commission or the Director General, as the case may be.

(10) In these regulations, 'affidavit' includes a document required to be sworn, affirmed or verified. In the verification of petitions and other proceedings, statements based on personal knowledge shall be distinguished from statement based on information and belief.

(11) The Commission or Director General may, during the course of the proceedings, where considered necessary and expedient, in the interest of justice, relax any or all of the above provisions in this regulation.

43. Production of additional evidence before Commission. –

(1) The parties to the proceedings shall not be entitled to produce before the Commission additional evidence, either oral or documentary, which was in the possession or knowledge but was not produced before the Director General during investigation under section 26 or sub-section (1A) of section 29 of the Act, but if the Commission requires any document to be produced or any witness to be examined or any affidavit to be filed to enable it to pass orders or for any other substantial cause, or if the Director General has not given sufficient opportunity to the party to adduce evidence; the Commission, for reasons to be recorded, may allow such document to be produced or witness to be examined or affidavit to be filed or may allow such evidence to be adduced.

(2) Such document may be produced or such witness examined or such evidence adduced either before the Commission or before such authority as the Commission may direct.

(3) If the document is directed to be produced or witness examined or evidence adduced before any authority, he or she shall comply with the direction of the Commission and after compliance send the document, the record of the deposition of the witness or the record of the evidence adduced, to the Commission.

(4) Additional evidence/document shall be made available by the Commission to the parties to the proceedings other than the party adducing the evidence and

they may be afforded an opportunity to rebut the contents of the said additional evidence.

44. Power of Commission to call for information etc. –

(1) The Commission may, at any time before passing orders in a proceeding, require any of the parties or any other person whom the Commission considers appropriate, to produce such documents or other material objects as evidence as the Commission may consider necessary for the purpose of enabling it to pass orders.

(2) The Commission or the Director General, as the case may be, may direct the summoning of the witnesses, discovery and production of any document or other material objects producible in evidence, requisition of any public record from any office, examination by an officer of the Commission the books, accounts or other documents or information in the custody or control of any person which the Commission considers relevant for the purpose.

(3) The Commission or the Director General, as the case may be, at any time, summon and enforce the attendance of any person and examine him, or cause him to be examined on oath.

45. Power of Commission or Director General to issue commissions for examination of witnesses or documents. –

(1) Subject to the provisions of clause (d) of sub-section (2) of section 36 and sub-section (2) of section 41 of the Act, the Commission or the Director General, as the case may be, either on its or his own motion or on an application made by a party to any proceeding before the Commission or the Director General, may issue a commission for the examination on questionnaires or otherwise of the specified witness (es), –

(a) residing within India;

(b) who is about to leave India before the date on which he or she is required to be examined as a witness;

(c) who ,being in the service of the Central Government, a State Government or a statutory authority, cannot, in the opinion of the Commission or the Director General, as the case may be, attend without detriment to the public service;

(d) who is unable to attend due to sickness or infirmity;

(e) who resides at a place which is more than five hundred kilometers distance from the office of the Commission or the Director General, as the case may be, and whose attendance, in the opinion of the Commission or the Director General, as the case may be, cannot be procured without incurring unnecessary expense within the stipulated time;

(f) not being covered under any of the situations mentioned in clauses (a) to (e), if his or her evidence is considered necessary in the interest of justice.

(2) Subject to the provisions of sub-regulation (1), the Commission or the Director General, as the case may be, either on its or his own motion or on an application made by a party to any proceeding before the Commission or the Director General, may also issue a commission for the examination on questionnaires or otherwise of any witness residing at any place not within India if satisfied that the evidence of such witness is necessary and may issue a letter of request to the Indian High Commission or the Indian Embassy to

facilitate the execution of the commission, under this regulation.

(3) Subject to the provisions of sub-regulations (1) and (2), the Commission or the Director General, as the case may be, either on its or his own motion or on an application made by a party to any proceeding before the Commission or the Director General, may also issue a commission for the examination of specific document(s) whether available in any place situated within or without India and whether or not held in the custody of any witness being examined on questionnaires as per sub-regulations (1) and (2).

(4) A commission for the examination of a witness on questionnaires or otherwise or for examination of a document issued under sub-regulation (1) or (2) or (3) may be issued to any public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code (45 of 1860) or a counsel and such public servant or the counsel, as the case may be, shall be appointed as "the commissioner" only for the purposes of executing the commission.

(5) Every public servant or the counsel, referred to in sub-regulation (4), upon receiving a commission under sub-regulation (4) shall examine the witness or the document, as the case may be, or cause the witness or the document to be examined pursuant thereto and on due execution, shall return the commission together with the evidence taken under it to the Commission or the Director General, as the case may be.

(6) The Commission or the Director General, as the case may be, shall furnish the commissioner appointed under sub-regulation (4) with such part of record of the proceedings and such instructions as appear necessary and the instructions shall distinctly specify that the commission is restricted to finding the facts through the examination as directed and the Commissioner is merely required to transmit the record of the proceedings to the Commission on completion of the examination.

(7) Any Commissioner appointed under this regulation may, unless otherwise directed by the order of appointment –

(a) examine the witness himself;

(b) call for and examine the documents and other things relevant to the subject of inquiry.

(8) The Commission or the Director General, as the case may be, issuing a commission under this regulation shall fix a date on or before which the commission shall be returned after execution, and the date so fixed shall not be extended except, for reasons to be recorded, the Commission or the Director General, as the case may be, is satisfied that there is sufficient cause for extending the date.

46. Authorizing a representative to appear. –

(1) Subject to the provisions of section 35 of the Act, in any proceeding, where the pleading is also signed by an authorized representative, the party shall append power of attorney or *Vakalatnama* in the manner specified authorizing the representative to appear for him or her or it, as the case may be.

(2) The authorized representative shall not be allowed to represent the party unless such power of attorney or *Vakalatnama* is filed before the Secretary before commencement of the ordinary meeting.

(3) No misconduct on the part of any authorized representative, appearing for and on behalf of any party during continuance of a proceeding before the Commission shall be permitted and the Commission in appropriate circumstances, for reasons to be recorded in writing, may pass necessary

orders debarring the representative, guilty of misconduct, from appearing in the proceedings before the Commission in future or till such time as the Commission deems necessary.

(4) In the event of the misconduct being committed by any counsel, the Secretary, if so directed by the Commission shall forward a complaint to this effect in writing to the Bar Council of the State of which the legal practitioner is member or the Institute of Chartered Accountants of India or the Institute of Company Secretaries of India or the Institute of Cost and Works Accountants of India, as the case may be.

Explanation.—For the purpose of this regulation, word "misconduct" shall include causing prejudice to or interfering with or attempting to interfere with, the due process of any proceeding or obstructing or attempting to obstruct, the compliance or execution of any order or direction of the Commission , in any manner, or using defamatory language or behaving defiantly or attempting to undermine or undermining the prestige of any Member or Officer of the Commission in any manner whatsoever.

47. Proceedings before Commission not to be open to public. –

Except where the Commission may so direct, for reasons to be recorded, the proceedings before the Commission, during an ordinary meeting, shall not be open to public. In taking the decision to open the proceedings to public, the Commission may take into account all or any of the following matters namely: –

(a) whether disclosure to public does not cause significant harm to a party;

(b) degree of inhibition or encouragement in providing information in public;

(c) efficient and proper conduct of proceeding;

(d) resources of the Commission.

48. Procedure for imposition of penalty under the Act. –

(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any rules or regulations framed under the Act, no order or direction imposing a penalty under the Act shall be made unless the person or the enterprise or a party to the proceeding, during an ordinary meeting of the Commission, has been given a show cause notice and reasonable opportunity to represent his or her or its case before the Commission.

(2) In case the Commission decides to issue show cause notice to any person or enterprise or a party to the proceedings, as the case may be, under sub-regulation (1), the Secretary shall issue a show cause notice giving not less than fifteen days asking for submission of the explanation in writing within the period stipulated in the notice.

(3) The Commission shall, on receipt of the explanation, and after oral hearing if granted, proceed to decide the matter of imposition of penalty on the facts and circumstances of the case.

49. Fee under clause (a) of sub-section (1) of section 19 of the Act. –

(1) Each information received under clause (a) of sub-section (1) of section 19 of the Act or otherwise shall be accompanied by proof of having paid the fee of rupees fifty thousand.

(2) The fee may be increased or decreased on the basis of annual notification of Cost Inflation Index by the Central Board of Direct Taxes, Department of

Revenue, Ministry of Finance by an order of the Commission.

(3) The fee can be paid either by tendering demand draft or pay order or banker's cheque, payable in favour of Competition Commission of India (Competition Fund), New Delhi or through Electronic Clearance Service (ECS) by direct remittance to the Competition Commission of India (Competition Fund), Account No. 1988002100187687 with "Punjab National Bank, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066".

50. Inspection and copying charges. –

(1) A party to the proceedings, on application, may be allowed inspection of records relating to its case by the Secretary, on such conditions as may be specified, on payment of rupees one thousand per day per case.

(2) Copying charges for the parties to the proceedings shall be rupees fifty per page.

51. Empanelment of special counsel by Commission. –

(1) The Commission may draw up a panel of legal practitioners or chartered accountants or company secretaries or cost accountants to assist in proceedings before the Competition Appellate Tribunal or any other quasi judicial body or Court.

(2) The Director General may call upon the legal practitioners or chartered accountants or company secretaries or cost accountants from the panel for assistance in the proceedings before the Commission, if so required.

(3) The remuneration payable and other allowances and compensation admissible to counsel shall be specified in consultation with the Commission.

52. Inviting experts of eminence to assist Commission. –

Without prejudice to sub-section (3) of section 36 of the Act, or guidelines issued thereunder, the Commission may invite experts of eminence to assist the Commission in discharging of its functions under the Act on such terms and conditions and at such times as may be decided by the Commission:

Provided that the Commission shall have absolute discretion as regards the evaluation of expertise or eminence of those invited to assist the Commission.

53. Publication. –

(1) The Commission may cause publication of a brief summary or the full text of its orders or decisions in the media, if it so desires in the interest of public, but shall have regard to the business secrets of the persons concerned and may direct deletion of such portions of the orders or decisions as it deems fit.

(2) A summary of all orders or decisions made by the Commission under sub-section (2) or sub-section (6) of section 26 of the Act directing the closure of the matter, as the case may be, shall be published on the web site of the Commission.

(3) It shall be the duty of the Secretary to publish the orders or decisions referred to in this regulation.

54. Removal of difficulty. –

In the matter of implementation of these regulations, if any, doubt or difficulty arises, the same shall be placed before the Commission and the decision of the Commission thereon shall be binding.

Annexure

(See regulation 4)

1. Seal



2. Emblem



IndiaCode

S. L. BUNKER, Secy.

[ADVT III/4/Exty./187-M/09]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.